

पूर्वोत्तर रेलवे**लखनऊ मंडल**

स्टेशन संचालन नियमावली सं०-एल०जे०एन०/238

स्टे०सं०नियम जारी करने की तिथि:

स्टे०सं०नियम लागू करने की तिथि:

**सीतापुर जं० स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम
बी०जी०**

टिप्पणी:(i) दि० 24.11.21 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं० एल.जे.एन./238 को निरस्त कर निम्नलिखित संशोधित स्टेशन संचालन नियम द्वारा प्रस्थापित किया जाता है।

(ii) इस स्टेशन संचालन नियम की एक प्रति स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संदर्भ के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी तथा इनका अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ किया जायेगा यह स्टेशन संचालन नियमावली किसी भी रूप में साधारण एवं सहायक नियमों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करते हैं।

1. **स्टेशन संचालन नियमारेख :**
मुसिदूँ/गोरखपुर/पू.उ.रेलवे के सिगनल अन्तर्पाशन योजना सं० एन.ई.आर./एल.जे.एन./एस.टी.पी./एस.आई.पी./2022/वी.ई.आर.-जीरो/32 संशोधन 'बी' पर आधारित नियमारेख सं०: उपमुसिदूँ/नि०/ल०ज०/2022(आर.डी.)/19 दि० 04.10.22 मय संशोधन 'ए' दिनांक 14.11.22 तथा कर्षण आरेख सं० DyCEE/Con/LJN/STP/TSWR/22 दिनांक 06.10.22 संलग्न है, जिसमें इस स्टेशन के कांटों, सिगनलों और लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है, दुर्घटना आदि की रिपोर्ट करते समय व संदर्भ के सभी मामलों में इसका उल्लेख करे तथा इसमें दिये कांटों, सिगनलों व लाइनों के नम्बर अवश्य अंकित करें।

2. **स्टेशन का विवरण :**

2.1 **सामान्य स्थिति :**

सीतापुर जं० स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जं०-मैलानी विद्युतीकृत खण्ड पर इकहरी लाइन तथा रोजा जं०-बुढ़वल जं० विद्युतीकृत खण्ड पर दोहरी लाइन 'बी' श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मानक-II अन्तर्पाशित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित डबल वी.डी.यू (विजुअल डिस्प्ले यूनिट कन्ट्रोल पैनल) पी.सी. द्वारा सुसज्जित है। यह लखनऊ जं० स्टेशन से 87.64 कि०मी०, मैलानी जं० स्टेशन से 106.92 कि०मी० तथा बुढ़वल जं० स्टेशन से 96.46 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

2.2 **ब्लाक स्टेशन, किसी भी ओर आई.बी.एच., आई.बी.एस. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :**

2.2.1 **ब्लाक स्टेशन:**

सीतापुर जं० स्टेशन के पूरब -उत्तर में तप्पा खजुरिया स्टेशन 09.00 कि.मी., व पूरब में खैराबाद(अवध) स्टेशन 6.02 कि.मी. तथा सीतापुर जं० स्टेशन के पश्चिम में सीतापुर सिटी(उ.रे.) स्टेशन 04.36 कि.मी. व पश्चिम -उत्तर में हरगाँव स्टेशन 24.34 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

कमश: पृष्ठ 2 पर

2.2.2 नान ब्लाक स्टेशन :**2.2.2.1 तप्पा खजुरिया छोर:-**

— कोई नहीं —

2.2.2.2 सीतापुर सिटी(उ.रे.) छोर:-

इस स्टेशन से सीतापुर कचहरी हॉल्ट स्टेशन 1.43 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

2.2.2.3 खैराबाद(अवध) छोर:-

—कोई नहीं —

2.2.2.4 हरगाँव छोर:-

इस स्टेशन से भुर्जिहा बड़ागाँव हॉल्ट 8.956 कि०मी०, झरेखापुर हॉल्ट स्टेशन 13.84 कि०मी० तथा परसेहरामाल हॉल्ट स्टेशन 19.02 कि०मी० की दूरी पर स्थित है।

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लाक खंड सीमा :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है ।	वह स्थान जहां "ब्लाक खंड" समाप्त होता है ।
सीतापुर जं० – तप्पाखजुरिया		
अप लाइन	इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं एस-2 से।	तप्पाखजुरिया स्टेशन के डाउन होम सिगनल के आगे कॉटा सं० 205ए तक।
डाउन लाइन	इस स्टेशन के बी.एस.एल.बी. से।	तप्पाखजुरिया स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक।
सीतापुर जं० – सीतापुर सिटी(उ.रे.)		
अप लाइन	इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं एस-39 से।	सीतापुर सिटी स्टेशन के डाउन होम सिगनल के आगे पर्याप्त दूरी तक।
डाउन लाइन	इस स्टेशन के बी.एस.एल.बी. से।	सीतापुर सिटी स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक।
वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है		वह स्थान जहां "ब्लाक खंड" समाप्त होता है
सीतापुर जं० – खैराबाद(अवध)		
इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 से।		खैराबाद(अवध) स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक।
सीतापुर जं० – हरगाँव		
इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 से।		हरगाँव स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक।

2.4 ढलान, यदि कोई हो :

इस स्टेशन की मध्य रेखा से खैराबाद(अवध)/तप्पा खजुरिया स्टेशन की ओर चनेज 96358 तक समतल व उसके आगे चनेज 94240 तक 1955 में 1 की ढलान व उसके आगे समतल है। सीतापुर सिटी स्टेशन की ओर चनेज 97860 तक समतल व उसके आगे 1660 में 1 की चढ़ाई है।

2.5 ले आउट :

इस स्टेशन का ले आउट 23 लाइनों का है, जिसमें लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 ट्रैक सर्किटेड रनिंग लाइनें हैं। लाइन सं० 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 नान-रनिंग लाइन तथा थॉमसनगंज साइडिंग में लाइन सं० 1, 2 व 3 साइडिंग लाइनें हैं।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

2.5.1 (क) चालू लाइने, संचलन की दिशा और सी.एस.आर. में वाहन क्षमता :

लाइन संख्या	क्लीयर स्टैंडिंग रुम (मीटर में) (सी०एस०आर०)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
1	725.00 मीटर	32	30	कामन लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	विद्युतीकृत
2	686.00 मीटर	30	28	कामन लाइन है।	विद्युतीकृत
3	738.00 मीटर	33	30	कामन लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	विद्युतीकृत
4	986.00 मीटर	44	41	कामन लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	विद्युतीकृत
5	882.00 मीटर	39	36	कामन मेन लाइन है।	विद्युतीकृत
6	862.00 मीटर	38	35	कामन मेन लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	विद्युतीकृत
7	727.00 मीटर	32	30	कामन लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	विद्युतीकृत
8	750.00 मीटर	33	31	कामन लाइन उच्चतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है।	विद्युतीकृत

- (ख) तप्पा खजुरिया व सीतापुर सिटी(उ.रे.) से अप/डाउन गाड़ियों किसी भी रनिंग लाइन पर/से आगमन/प्रस्थान की जा सकती हैं।
- (ग) हरगौंव स्टेशन से/को अप/डाउन गाड़ियों का रनिंग लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर/से ही आगमन/प्रस्थान किया जा सकता है।
- (घ) खैराबाद(अवध)से अप/डाउन गाड़ियों का रनिंग लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 पर/से ही आगमन/प्रस्थान किया जा सकता है।
- (ङ.) खैराबाद(अवध) स्टेशन से आने हेतु लाइन सं० 2 मेन लाइन है परन्तु सीतापुर सिटी(उ.रे.) स्टेशन जाने हेतु लूप लाइन है।
- (च) तप्पा खजुरिया स्टेशन से सीतापुर सिटी(उ.रे.) जाने हेतु लाइन सं० 5 मेन लाइन है।
- (छ) सीतापुर सिटी(उ.रे.) स्टेशन से तप्पा खजुरिया स्टेशन जाने हेतु लाइन सं० 6 मेन लाइन है।

2.5.2 गैर चालू लाइने और सी०एस०आर० में उनकी क्षमता :-

लाइन संख्या	क्लीयर स्टैंडिंग रुम (मीटर में) (सी०एस०आर०)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
9	75.00 मीटर	—	—	इंजन ठहराव साइडिंग लाइन है।	विद्युतीकृत
10	150.00 मीटर	—	—	इंजन लाइन है।	विद्युतीकृत
11	80.00 मीटर	3	3	पार्सल साइडिंग लाइन है।	आंशिक विद्युतीकृत
12	80.00 मीटर	—	—	टावर वैगन लाइन है।	अविद्युतीकृत

कमशः पृष्ठ 4 पर

13	300.00 मीटर	13	12	मशीन/हाट एक्सल साइडिंग लाइन है।	विद्युतीकृत
14	100.00 मीटर	4	4	ब्रेकवान साइडिंग है।	विद्युतीकृत
15	80.00 मीटर	3	3	ब्रेकवान साइडिंग है।	विद्युतीकृत
16	69.00 मीटर	—	—	टावर वैगन शेड है।	अविद्युतीकृत
17	60.00 मीटर	2	2	ब्रेकवान रिवर्सल लाइन है।	विद्युतीकृत
18	60.00 मीटर	2	2	ब्रेकवान रिवर्सल लाइन है।	विद्युतीकृत
19	30.00 मीटर	1	1	ब्रेकवान रिवर्सल लाइन है।	विद्युतीकृत
20	45.00 मीटर	2	1	साइडिंग लाइन है।	विद्युतीकृत

2.5.3 थॉमसनगंज साइडिंग लाइने और उनकी क्षमता :-

लाइन संख्या	क्लीयर स्टैंडिंग रूम (मीटर में) (सी0एस0आर0)	वाहन क्षमता (कोच)	अभ्युक्तियाँ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
1	696.00 मीटर	—	रेलतल गुड्स प्लेटफार्म साइडिंग लाइन है।	विद्युतीकृत
2	696.00 मीटर	—	रेलतल गुड्स प्लेटफार्म साइडिंग लाइन है ।	विद्युतीकृत
3	700.00 मीटर	—	साइडिंग लाइन है ।	विद्युतीकृत

2.5.4 ले आउट की कोई मुख्य विशेषता : — —कोई नहीं—

2.6 समपार :

2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

फाटक सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-पार्शित है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टीएडब्लूडी) उपलब्ध है
72 इन्जी०	‘विशेष’	डाउन डिस्टेन्ट/ गेट सिगनल सं० (3) व अप गेट सिगनल सं० (4) के मध्य कि० मी० 86/0-1 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
75 इन्जी०	‘विशेष’	अप गेट सिगनल सं० (8) व डाउन गेट सिगनल सं० (7) के मध्य कि.मी. 89/5-6 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत गेटमैन	है	स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

89 इन्जी०	‘विशेष’	अप गेट सिगनल/इनर डिस्टेन्ट सिगनल सं० (2)/ए१ व डाउन गेट सिगनल सं० (1) के मध्य कि.मी. 93/4-5 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला।	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
93 ट्राफिक	‘विशेष’	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 व डाउन बी.एस.एल. बी. के मध्य कि.मी. 98/3-4 पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला।	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

2.6.2 स्टेशन सीमा के बाहर स्थित इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

फाटक सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त-प्रांशित है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी०ए०डब्लू०डी०) उपलब्ध है
—कोई नहीं—							

टिप्पणी: समपारों के संचालन की पद्धति हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट “ए” भाग 1, 2, 3 एवं 4 देखें।

3 संचालन की प्रणाली और साधन :

अगल-बगल के स्टेशनों के मध्य “पूर्ण ब्लाक पद्धति” लागू है। इस स्टेशन पर लगाये गये ब्लाक उपकरणों का प्रकार निम्नवत् है :

लगे ब्लाक उपकरणों के प्रकार	सहकारी/असहकारी	परिचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभी जिसके पास रखी जाती है	टिप्पणी
इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर खैराबाद(अवध) के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) द्वारा आपस में सम्बद्ध हैं।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—
इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर हरगँव के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) द्वारा आपस में सम्बद्ध हैं।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर तप्पा खजुरिया के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दोहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) द्वारा आपस में सम्बद्ध हैं।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—
इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर सीतापुर सिटी के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त दोहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) द्वारा आपस में सम्बद्ध हैं।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	—

टिप्पणी: कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त विद्युत ब्लाक यंत्र को परिचालित नहीं कर रहा है, विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का अध्याय 14 तथा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट –‘बी’ का अनुलग्नक—III व IV देखें।

4. सिगनलिंग और अन्तर्पार्शन प्रणाली :

4.1 स्टेशन पर रूट सेटिंग टाइप इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग (EI) और बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था है, जो मानक II अन्तर्पार्शित है तथा कम्प्यूटरीकृत विजुअल डिस्प्ले यूनिट (VDU) से संचालित होते हैं। स्टेशन मास्टर के कार्यालय में गाड़ियों के संचालन हेतु दो VDU(पी.सी) उपकरण लगा है। एक समय पर कोई एक ही VDU क्रियाशील रहेगा व दूसरा VDU स्टैन्डबाई के रूप में रहेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कांटे एवं सिगनल का संचालन VDU से किया जायेगा। वी डी यू पर कांटा, एवं ट्रैक सर्किटों के सहित ले आउट डायग्राम बनाया गया है। स्टेशन मास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टेशन के समस्त कलर लाइट/पोजीशन लाइट सिगनल अनवरत दिन—रात साधारण एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुसार जलते रहेंगे। स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट—‘बी’ का अनुलग्नक—II देखें।

- (1) अप एवं डाउन एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल के साथ इंटरलॉकिंग व्यवस्था इस प्रकार की है कि इन सिगनलों को तब तक ‘ऑफ’ नहीं किया जा सकता है जब तक कि अगले ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर ‘लाइन क्लीयर’ प्राप्त न कर लिया गया हो।
- (2) गाड़ी अप/डाउन एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल के आगे जैसे ही रिप्लेसर ट्रैक को घेरती है, तो ये सिगनल स्वतः ही ऑन स्थिति में हो जाते हैं। इन सिगनलों को बाद वाली गाड़ी के लिए ‘ऑफ’ करने के लिए ब्लॉक उपकरण पर पुनः लाइन क्लीयर लेकर ही ‘ऑफ’ किया जा सकता है।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

- (3) यह VDU(पी.सी.) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा ऑपरेट किया जाता है जो गाड़ियों के आगमन, प्रस्थान एवं शंटिंग कार्य हेतु VDU(पी.सी.) से संचालित प्वाइंटों, सिगनलों और शंट सिगनलों के सही संचालन के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। जब कभी स्टेशन मास्टर अपने कार्यालय से बाहर जाता है तो उसके द्वारा VDU(पी.सी.) को लॉक करने हेतु स्टेशन मास्टर VDU चेन्ज ओवर बाक्स से 'एस.एम.-चाभी' निकाल लेगा अब VDU(पी.सी.) से कोई संचालन संभव नहीं होगा। यद्यपि आफ किया हुआ सिगनल आन किया जा सकता है। 'एस.एम.-चाभी' कार्यरत स्टेशन मास्टर की निजी अभिरक्षा में रहेगी।

नोट :- कार्यरत स्टेशन मास्टर सर्वप्रथम V.D.U. चेन्ज ओवर बाक्स पर एस.एम. 'की' को लगाकर 'KEY IN' की तरफ घुमायेगा एस.एम. 'KEY IN' का इन्डीकेशन प्रकाशित होगा। स्टेशन मास्टर कक्ष में लगे V.D.U. चेन्ज ओवर स्विच की तीन स्थितियाँ, पोजिशन-1, पोजिशन-2 व 'आफ' पोजिशन है। स्टेशन मास्टर V.D.U. चेन्ज ओवर स्विच का स्वयं संचालन करेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा V.D.U. "चेन्जओवर स्विच" को पोजिशन-1 में ऑपरेट करने पर V.D.U.-1 कमांड मोड में सक्रिय होगा, जिससे V.D.U.-1 द्वारा गाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा तथा इस समय V.D.U.-2 इन्डीकेशन मोड में रहेगा, जिससे केवल यार्ड की निगरानी की जा सकती है परन्तु कोई कमांड नहीं दिया जा सकेगा। इसी प्रकार स्टेशन मास्टर द्वारा "चेन्जओवर स्विच" को पोजिशन-2 में ऑपरेट करने पर V.D.U.-2 कमांड मोड में सक्रिय होगा, जिससे V.D.U.-2 द्वारा गाड़ियों का संचालन किया जा सकेगा तथा इस समय V.D.U.-1 इन्डीकेशन मोड में रहेगा, जिससे केवल यार्ड की निगरानी की जा सकती है परन्तु कोई कमांड नहीं दिया जा सकेगा। V.D.U.(पी.सी.)-1 एवं V.D.U.(पी.सी.)-2 दोनों सिस्टम में से एक समय में एक से ही कार्य किया जा सकेगा तथा दूसरे पर केवल इन्डीकेशन प्रकाशित होगा जो स्टैन्ड बाई का कार्य करेगा। **दोनों V.D.U. के 'नो लाइट' होने की दशा में मैनुअल संचालन हेतु V.D.U. 'चेन्जओवर स्विच' को 'आफ' पोजिशन में करने के 120 सेकेंड पश्चात सभी कैंक हैन्डिल चाभी पर रिलीज का इन्डीकेशन प्रदर्शित हो जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कैंक हैन्डिल चाभी को निकाला जा सकेगा।**
(स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' का अनुलग्नक-V को देखें)

- (i) सिगनल/प्वाइंट को लीवर फ्रेम/कंट्रोल पैनल/वी.डी.यू./सी.टी.सी. से संचालन विधि :-
सिगनल/प्वाइंटों का VDU(पी.सी.) से संचालन किये जाने हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' का अनुलग्नक-V को देखें।
- (ii) एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट का रनिंग लाइनों में प्रावधान :-
इस स्टेशन पर सीतापुर-खैराबाद(अवध), सीतापुर-हरगाँव, सीतापुर-सीतापुर सिटी(उ.रे.) तथा सीतापुर-तप्पा खजुरिया खण्ड में एक्सल काउन्टर का प्रावधान है तथा सभी रनिंग लाइनें ट्रैक सर्किटेड है।

कमशः पृष्ठ 8 पर

(iii) कालिंग आन सिगनल/आई.बी.एस. :

क्र० सं०	कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
1	डाउन कालिंग आन सिगनल सं०. सी-7	यह डाउन होम सिगनल सं० एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13/एस-15 तक आने हेतु।
2	अप कालिंग आन सिगनल सं०. सी-3	यह अप होम सिगनल सं० एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13/एस-15 तक अथवा लाइन सं० 5/6/7/8 में आने हेतु।
3	कालिंग आन सिगनल सं० सी-43	यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 4/5/6/7 में आने हेतु।
4	कालिंग आन सिगनल सं० सी-45	यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-15 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1/2/3 में आने हेतु।
5	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-49	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-19 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर) तक आने हेतु।
6	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-51	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-21 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 2 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर) तक आने हेतु।
7	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-47	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-17 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 3 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर) तक आने हेतु।
8	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-59	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 4 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर)/एस-37 (हरगॉव छोर) तक आने हेतु।
9	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-61	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-31 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 5 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर)/एस-37 (हरगॉव छोर) तक आने हेतु।
10	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-63	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 6 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर)/एस-37 (हरगॉव छोर) तक आने हेतु।
11	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-55	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 7 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर)/एस-37 (हरगॉव छोर) तक आने हेतु।

कमशः पृष्ठ 9 पर

12	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-53	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-23 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 8 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी छोर)/एस-37 (हरगॉव छोर) तक आने हेतु।
13	कालिंग आन सिगनल सं० सी-60	यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-30 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 तक अथवा लाइन सं० 4/5/6/7/8 में आने हेतु।
14	कालिंग आन सिगनल सं० सी-62	यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1/2/3 में आने हेतु।
15	अप कालिंग आन सिगनल सं०. सी-34	यह अप होम सिगनल सं० एस-36 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 4/5/6/7/8 में आने हेतु।
16	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-38	यह होम सिगनल सं० एस-40 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह राउटिंग होम सिगनल सं० एस-30 तक आने हेतु।
17	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-56	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-26 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 1 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।
18	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-54	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-24 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 2 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।
19	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-52	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 3 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।
20	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-50	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-20 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 4 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।
21	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-58	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-28 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 5 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।

क्रमशः पृष्ठ 10 पर

22	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-44	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-14 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 6 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।
23	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-46	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-16 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 7 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 (खैराबाद(अवध) छोर)/एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।
24	कालिंग आन सिगनल सं०. सी-48	यह प्रस्थान सिगनल सं० एस-18 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं० 8 से अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 (तप्पा खजुरिया छोर) तक आने हेतु।

(iv) फिक्सड वार्नर एवं स्टेशनों पर स्टाप बोर्ड :-
स्टेशन पर फिक्सड वार्नर की व्यवस्था नहीं है। समपार सं० 93 हेतु थामसनगंज साइडिंग लाइन पर दोनो तरफ से एक-एक अप/डाउन स्टाप बोर्ड प्रदत्त है।

(v) आपात कास ओवर :-
तप्पा खजुरिया छोर पर डाउन लाइन को अप लाइन से जोड़ने हेतु कांटा सं. 201ए-201बी आपात कास ओवर का प्रावधान है परन्तु रनिंग लाइन सं० 1/2/3/4/5 से डाउन गाड़ी का तप्पा खजुरिया को प्रस्थान कराते समय यह नार्मल कासओवर का कार्य करेगा। सीतापुर सिटी छोर पर अप लाइन को डाउन लाइन से जोड़ने हेतु कांटा सं. 238ए-238बी आपात कास ओवर का प्रावधान है परन्तु सीतापुर सिटी छोर से आगमन करते समय यह नार्मल कासओवर का कार्य करेगा।

(vi) स्थाई रुप से लाक किये गये कांटे :-

कांटा सं०	विवरण	इंडीकेटर लगे है या नहीं	सेटिंग की सामान्य स्थिति	नियंत्रण चाभी का नाम	मोटर/यांत्रिक संचालित	रेल परिपथ है या नहीं	पृथक्कीकरण के साधन	टिप्पणी
							साधन लाइन के मध्य	
कोई नहीं								

(vii) यांत्रिक रुप से संचालित स्टेशनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटे :
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(viii) आपात/कैंक हैण्डल चाभियों और उनकी अभिरक्षा :
आपात/कैंक हैण्डल चाभियों का विवरण और उनकी अभिरक्षा स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

(ix) कांटे/ट्रैप कांटे/सिगनल/एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/बैनर किस्म के) :

(अ) कांटा और सिगनल:-

सभी कांटे विद्युतीय परिचालित कांटे हैं जो अपेक्षित रूट के लिए स्वचालित रूप से सेट हो जाते हैं, जब V.D.U. (पी.सी.) द्वारा सम्बन्धित सिगनल पर माउस द्वारा कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करने पर प्राप्त मीनू पर सम्बन्धित लाइन के रूट पर माउस से कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करने पर सम्बन्धित लाइन का सिगनल आफ हो जाएगा व रास्ते के कांटे स्वतः सेट और लाक हो जाएंगे। सिगनल आफ न होने के मामले में लगे हुए संकेतक द्वारा कांटे की जांच की जाएगी। कांटे/कांटों के अपेक्षित रूट में स्वचालित रूप से सेट न होने के मामले में प्रत्येक कांटे को व्यक्तिगत रूप से परिचालित किया जाएगा। यदि कांटे व्यक्तिगत रूप से परिचालित करने पर भी सेट न हों तो क्रैन्क हैन्डिल प्रक्रिया द्वारा इन्हें अपेक्षित स्थिति में सेट किया जा सकता है। प्रत्येक कांटे को व्यक्तिगत रूप से अथवा क्रैन्क हैन्डिलिंग द्वारा परिचालित करने पर भी अपेक्षित सिगनल आफ न होने पर सम्बन्धित सिगनल को खराब समझा जाएगा और खराब सिगनलों से गाड़ियों को पास कराने की कार्यवाई की जाएगी। विस्तृत विवरण हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' देखे।

(ब) ट्रैप कांटा संकेत:-

—कोई नहीं—

(स) एक्सल काउन्टर के संकेत:-

सीतापुर-खैराबाद(अवध), सीतापुर-हरगोव, सीतापुर- सीतापुर सिटी(उ.रे.) तथा सीतापुर-तप्पा खजुरिया खण्ड में लगे एक्सल काउन्टर हेतु एक्सल काउन्टर बाक्स का प्रावधान है। एक्सल काउन्टर के संकेत का विस्तृत विवरण हेतु स्टे० संचा० नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' का अनुलग्नक-vi देखें।

(द) ट्रैक सर्किट इंडीकेशन:

वी.डी.यू. डायग्राम पर ट्रैक सर्किट के संकेतों को दर्शाया गया है। ट्रैक सर्किट रूल डायग्राम और वी.डी.यू. डायग्राम पर चित्रित अनुसार उपयुक्त साइज में विभाजित है।

रूल डायग्राम के अनुसार ट्रैक सर्किटेड यार्ड को स्माल ट्रैक सर्किट के उचित नम्बर से विभाजित किया गया है और इन्हें V.D.U. (पी.सी.) पर डिमार्केट किया गया है।

सभी ट्रैक सर्किटों के लिए वी.डी.यू. डायग्राम में इनके प्रदीप्त संकेत लगे हैं। सभी ट्रैक सर्किटों की स्थिति स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे V.D.U.(पी.सी.) पर दिखाई गई है। ट्रैक सर्किटेड लाइनों को V.D.U.(पी.सी.) पर ट्रैक सर्किटों को दर्शाते हुए विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया गया है। इनको पीली व लाल स्लिट बलियां लगे ट्रैक सर्किट इंडीकेशन के द्वारा दर्शाया गया है।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

सामान्यतः ये इन्डिकेशन बुझ रहे हैं, जब रूट सेट व लॉक हो जाता है तो ओवर लैप सहित उस विशेष रूट के सभी सेक्शनों की 'पीली' लाइट जल जाती हैं और जब गाडी ट्रैक सेक्शन पर आ जाती है तो इसकी 'पीली' लाइट के स्थान पर 'लाल' लाइट हो जाती है जो यह संकेत देती है कि ट्रैक पर गाडी है और ट्रैक सेक्शन से गाडी के निकल जाने पर लाल लाइट बुझ जाती है व पीली लाइट पुनः दिखाई देगी और यह रूट रिलीज होने पर ही बुझेगी। यदि पावर फेल हो जाये तो कोई भी संकेत नहीं रहेगा।

(य) कांटो का संकेत :

परिशिष्ट "बी" में दिए विवरण के अनुसार कांटा के समीप प्रदीप्त संकेतों के माध्यम से कांटों की सामान्य एवं विपरीत स्थिति वी.डी.यू. पर दर्शाये गए हैं।

(X) कांटे/सिगनल/गेट कंट्रोल स्वीचों का उपयोग करते हुए रूट सेंटिंग के लिये लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल वीडियो डिस्प्ले यूनिट :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xi) कांटों का पृथक परिचालन :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दिया गया है।

(xii) स्टेशन सीमा के भीतर गेटों का परिचालन :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ए" में दिया गया है।

(xiii) क्रेक हैण्डिल का उपयोग करते हुए कांटों की सेटिंग :

जब आपरेटिंग वी.डी.यू. द्वारा कांटो को न सेट किया जा सकता हो अथवा मोटर मशीन द्वारा आपरेट करने पर कांटा सेट न होने पर कांटो को क्रेक हैण्डिल द्वारा सेट किया जाएगा। इस कार्य के लिए ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर वी.डी.यू. स्क्रीन पर कॉटा मीनू पर 'क्रेक हैण्डिल रिलीज' विकल्प सेलेक्ट करेगा। वी.डी.यू. पर क्रेक हैण्डिल लाक संकेतक फ्लैशिंग पीला जल जाएगा। स्टे.मा कार्यालय में लगे क्रेक हैण्डिल बाक्स में सम्बन्धित के.एल.सी.आर. लाक पर एक एल.ई. डी. संकेतक जल जायेगा। सम्बन्धित के.एल.सी.आर. के क्रेक हैण्डिल बाक्स से स्टे.मा. कक्ष में, सम्बन्धित चाभी को मुक्त करने के लिए पुश बटन को दबायेगा। के.एल.सी.आर. लाक से चाभी को निकाल लिया जाएगा। वी.डी.यू. पर स्थायी लाल क्रेक हैण्डिल रिलीज संकेतक जल जायेगा। स्टेशन स्टाफ द्वारा जिस कॉटे को परिचालित करना है उस पर पहुँचेगा क्रेक हैण्डिल चाभी के प्लैप ढक्कन तथा क्रेक हैण्डिल छेद को कॉटा मशीन प्लैप कबर चाभी से खोलेगा। इसके बाद के.एल.सी. आर. चाभी को मशीन में डालेगा, क्रेक हैण्डिलिंग ढक्कन खोलने के लिए क्लाक वाइज घुमाएगा और कांटा को क्रेक हैण्डिलिंग द्वारा अपेक्षित दशा में लाक होने तक परिचालित किया जाएगा। क्रेक हैण्डिलिंग के बाद स्टेशन स्टाफ क्रेक हैण्डिल, चाभी व सम्बन्धित के. एल.सी.आर. चाभी के साथ स्टे.मा. कक्ष में वापस आयेगा। क्रेक हैण्डिल को क्रेक हैण्डिल बाक्स में रख देगा और चाभी को स्टे मा कक्ष के क्रेक हैण्डिल बाक्स में इसके के.एल.सी.आर. में वापस रख दिया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 13 पर

स्टेशन स्टाफ चाभी को के.एल.सी.आर. में डालेगे तथा एन्टी क्लाक वाइज घुमाएंगे। वी.डी.यू. पर फलैशिंग पीला क्रैन्क हैन्डिल लाक संकेतक जल जायेगा। उसके बाद कार्यरत स्टे.मा. वी.डी.यू. स्क्रीन पर प्वाइंट मीनू के सम्बन्धित कांटे के 'क्रैन्क हैन्डिल लाक' विकल्प पर क्लिक करेगा। इससे क्रैन्क हैन्डिल लाक हो जायेगा और क्रैन्क हैन्डिल लाक संकेतक (स्थायी पीला) वी.डी.यू. पर प्रदर्शित होगा। कांटो की क्रैन्क हैन्डिलिंग के बाद नीचे दिए अनुसार दो स्थितियां उत्पन्न होगी -

- (i) कांटा का अपेक्षित संकेत आपरेशन वी.डी.यू. पर दिखाई देगा तो ऐसे मामले में गाडी को प्रापर सिगनलों पर पास किया जाएगा।
- (ii) कांटो का अपेक्षित संकेत आपरेशन वी.डी.यू. पर नहीं दिखाई पड सकता। यदि सिगनल आफ न हो रहा हो तो सम्बन्धित कांटो को स्विच क्लैप और पैडलाकड किया जाएगा और गाडी को टी/369-(3बी) के प्राधिकार पर पायलट किया जाएगा। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद वी.डी.यू. आपरेशन द्वारा यदि कांटो नार्मलाइज न किया जा सकता हो तो क्रैन्क हैन्डिल द्वारा नार्मल पोजीशन में सेट किया जाएगा।

टिप्पणी :

- (i) प्रत्येक बार जब विद्युत कांटा मशीन से संचालित कांटो को टेस्टिंग हेतु या हाथ द्वारा संचालन के लिए के.एल.सी.आर. चाभी निकाला जाये तो इस आशय की प्रविष्टि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस उद्देश्य से बनाये गये रजिस्टर में स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' अनुलग्नक-I में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार की जायेगी।
- (ii) जब भी के.एल.सी.आर. चाभी संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी को अनुरक्षण या टेस्टिंग इत्यादि हेतु दिया जाये तो सम्बन्धित कांटो का वियोजन निर्धारित प्रारूप पर अवश्य लिया जाये, जिसका रख रखाव अलग से रखा जाये।
- (iii) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रिकनेक्शन में के साथ क्रैन्क हैन्डिल प्राप्त होने पर सामान्य कार्य प्रणाली अपनायी जाये।
- (iv) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण एवं सहायक नियम 3.69(1)(3) एवं 3.70(1)(2) के अनुसार करें।
- (v) दोनो V.D.U. के 'नो लाइट' होने की दशा में मैनुअल संचालन हेतु V.D.U. 'चेन्जओवर स्विच' को 'आफ' पोजीशन में करने के 120 सेकेंड पश्चात सभी क्रैन्क हैन्डिल चाभी पर रिलीज का इन्डीकेशन प्रदर्शित हो जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्रैन्क हैन्डिल चाभी को निकाला जा सकेगा।

(xiv) आपातकालीन संचालन के लिये उपलब्ध वीडर काउन्टर के रख रखाव:

1. आपातकालीन रुट रिलीज वीडर काउन्टर (ईयूवाईएन)
2. आपातकालीन रुट कैंसिलेशन वीडर काउन्टर (ईयूवाईएन)

क्रमशः पृष्ठ 14 पर

3. आपातकालीन कॉटा आपरेशन वीडर काउन्टर(ईडब्लूएन)
4. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर
5. क्रेन्क हैण्डिल वीडर काउन्टर
6. आपातकालीन सिगनल रिप्लेसमेन्ट वीडर काउन्टर(ईजीजीएन)
7. लाइन क्लीयर कैन्सीलेशन वीडर काउन्टर (UFSBI ब्लाक यन्त्रों में)
8. आपातकालीन 'सी.एच.जी.-1 (समपार सं० 93) वीडर काउन्टर
9. एक्सल काउन्टरों के लिए वीडर काउन्टर

टिप्पणी: स्टेशन मास्टर वीडर काउन्टर रजिस्टर को वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी गयी संख्या के अनुसार अद्यतन रखेंगे ।

(XV) गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्लूएस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी) की कार्य विधि :-
स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

(XVI) बर्थिंग पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सल काउन्टर की खराबी के मामले में रीसेटिंग की पद्धति :-
स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

(XVII) कांटो का आपात संचालन :
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।

(XVIII) आपात मार्ग रद्दीकरण :
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है ।

(XIX) ब्लाक की क्लियरिंग :
बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस. बी.आई) ब्लाक पैनल द्वारा सम्बन्धित ब्लाक सेक्शन के क्लीयर इण्डिकेशन के द्वारा सम्बन्धित ब्लाक की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेंगे । इण्डिकेशनों के विफलता की दशा में गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही सम्बन्धित ब्लाक की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेंगे ।
(सा० एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

4.1.1 आगमन सिगनल (तप्पा खजुरिया छोर) :-

- (क) अप गेट डिस्टेंट सिगनल सं० एए(2) का नार्मल आस्पेक्ट दो पीला है जो अप डिस्टेंट सिगनल(सीतापुर) सं० एए1 के स्थिति पर निर्भर है ।
- (ख) अप डिस्टेंट सिगनल(सीतापुर) सं० एए1 का नार्मल आस्पेक्ट पीला है जो अप गेट (समपार सं. 89)/अप इनर डिस्टेंट सिगनल सं० (2)/ए1 के स्थिति पर निर्भर है ।
- (ग) अप गेट (समपार सं. 89)/अप इनर डिस्टेंट सिगनल सं० (2)/ए1 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है । इसका पीला आस्पेक्ट समपार सं० 89 की बन्द व लाक स्थिति पर निर्भर है । इसका दो पीला/हरा आस्पेक्ट समपार सं० 89 की बन्द व लाक स्थिति व अप होम सिगनल सं० एस-1 के 'आफ' आस्पेक्ट पर निर्भर है ।

कमश: पृष्ठ 15 पर

- (घ) अप होम सिगनल सं० एस-1 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये :-
 राउटिंग होम सिगनल सं० एस-15 तक अन्तिम बांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13 तक प्रथम बांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 लाइन सं० 5 हेतु जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित ।
 लाइन सं० 6 हेतु प्रथम दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 लाइन सं० 7 हेतु द्वितीय दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 लाइन सं० 8 हेतु अन्तिम दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।

4.1.2 आगमन सिगनल (खैराबाद(अवध) छोर) :-

- (क) डाउन गेट डिस्टेंट सिगनल का नार्मल आस्पेक्ट पीला है जो डाउन डिस्टेंट/गेट सिगनल (समपार सं० 72) सं० ए-5/(3) की स्थिति पर निर्भर है ।
 (ख) डाउन डिस्टेंट/गेट सिगनल (समपार सं० 72) सं० ए-5/(3) का नार्मल आस्पेक्ट लाल है । इसका पीला आस्पेक्ट समपार सं० 72 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है । इसका दो पीला आस्पेक्ट समपार सं० 72 की बन्द व लाक स्थिति व डाउन होम सिगनल सं० एस-5 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियन्त्रित है ।
 (ग) डाउन होम सिगनल सं० एस-5 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाय :-
 राउटिंग होम सिगनल सं० एस-15 तक जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13 तक दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।

4.1.3 आगमन सिगनल (तप्पा खजुरिया/खैराबाद(अवध) छोर):-

- राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये :-
 लाइन सं० 4 हेतु जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित ।
 लाइन सं० 5 हेतु प्रथम दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 लाइन सं० 6 हेतु द्वितीय दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 लाइन सं० 7 हेतु अन्तिम दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।

4.1.4 आगमन सिगनल (तप्पा खजुरिया/खैराबाद(अवध) छोर):-

- राउटिंग होम सिगनल सं० एस-15 का नार्मल आस्पेक्ट लाल है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये :-
 लाइन सं० 1 हेतु बांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।
 लाइन सं० 2 हेतु जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित ।
 लाइन सं० 3 हेतु दांया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित ।

कमशः पृष्ठ 16 पर

4.1.5 प्रस्थान सिगनल(सीतापुर सिटी/हरगॉव छोरे) :-

- (क)(i) प्रस्थान सिगनल सं० एस-19 लाइन सं० 1 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (ii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-21 लाइन सं० 2 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (iii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-17 लाइन सं० 3 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (iv) प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 4 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (v) प्रस्थान सिगनल सं० एस-29 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 4 से हरगॉव छोरे हेतु।
- (vi) प्रस्थान सिगनल सं० एस-31 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 5 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (vii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-31 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 5 से हरगॉव छोरे हेतु।
- (viii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 6 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (ix) प्रस्थान सिगनल सं० एस-33 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 6 से हरगॉव छोरे हेतु।
- (x) प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 7 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (xi) प्रस्थान सिगनल सं० एस-25 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 7 से हरगॉव छोरे हेतु।
- (xii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-23 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 8 से सीतापुर सिटी छोरे हेतु।
- (xiii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-23 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 8 से हरगॉव छोरे हेतु।
- (ख) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 दोहरी लाइन बी.पी.ए. सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC)(सीतापुर सिटी) तथा समपार सं० 93 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 का पीला आस्पेक्ट इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC) (हरगॉव) तथा हरा आस्पेक्ट इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC)(हरगॉव) व गेट सिगनल सं० (7) के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।
- (घ) डाउन गेट सिगनल सं० (7) समपार सं० 75 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

क्रमशः पृष्ठ 17 पर

4.1.6 आगमन सिगनल (सीतापुर सिटी):-

- (क) डाउन डिस्टेंट सिगनल सं० ए-40 का नार्मल आस्पेक्ट **पीला** है जो डाउन होम सिगनल सं० एस-40 की स्थिति पर निर्भर है।
- (ख) डाउन होम सिगनल सं० एस-40 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है इसका **आफ** आस्पेक्ट समपार सं० **93** के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) डाउन राउटिंग होम सिगनल सं० एस-30 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये :-
लाइन सं० 5 हेतु प्रथम दाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 4 हेतु द्वितीय दाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 तक अन्तिम दाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 6 हेतु जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित।
लाइन सं० 7 हेतु प्रथम बाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 8 हेतु अन्तिम बायाँ जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
- (घ) डाउन राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये :-
लाइन सं० 1 हेतु दाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 2 हेतु जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित।
लाइन सं० 3 हेतु बाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।

4.1.7 आगमन सिगनल (हरगॉव):-

- (क) अप डिस्टेंट(सीतापुर) का नार्मल आस्पेक्ट **पीला** है जो अप गेट (समपार सं० 75) सिगनल सं० (8) द्वारा नियंत्रित है।
- (ख) अप गेट(समपार सं० 75) सिगनल सं० (8) का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है इसका **आफ** आस्पेक्ट समपार सं० **75** की बन्द व लाक स्थिति तथा अप होम सिगनल सं० एस-36 के **आफ** आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) अप होम सिगनल सं० एस-36 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रूट इंडीकेटर के साथ इस तरह पढ़ा जाये :-
लाइन सं० 4 हेतु अन्तिम दाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 5 हेतु प्रथम दाया जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 6 हेतु जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित।
लाइन सं० 7 हेतु प्रथम बायाँ जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं० 8 हेतु अन्तिम बायाँ जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित।

4.1.8 प्रस्थान सिगनल(खैराबाद(अवध)/तप्पा खजुरिया छोर) :-

- (क) (i) प्रस्थान सिगनल सं० एस-26 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 1 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।
(ii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-26 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 1 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
(iii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-24 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 2 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।

कमश: पृष्ठ 18 पर

- (iv) प्रस्थान सिगनल सं० एस-24 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 2 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
- (v) प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 3 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।
- (vi) प्रस्थान सिगनल सं० एस-22 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 3 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
- (vii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-20 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 4 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।
- (viii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-20 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 4 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
- (ix) प्रस्थान सिगनल सं० एस-28 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 5 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।
- (x) प्रस्थान सिगनल सं० एस-28 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 5 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
- (xi) प्रस्थान सिगनल सं० एस-14 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 6 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।
- (xii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-14 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 6 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
- (xiii) प्रस्थान सिगनल सं० एस-16 जंक्शन रूट इंडीकेटर सहित लाइन सं० 7 से (खैराबाद(अवध)) छोर हेतु।
- (xiv) प्रस्थान सिगनल सं० एस-16 जंक्शन रूट इंडीकेटर रहित लाइन सं० 7 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।
- (xv) प्रस्थान सिगनल सं० एस-18 लाइन सं० 8 से तप्पा खजुरिया छोर हेतु।

- (ख) डाउन अग्रिम प्रस्थान/गेट डिस्टेन्ट (समपार सं० 89) सिगनल सं० एस-2 का पीला आस्पेक्ट तप्पा खजुरिया छोर के दोहरी लाइन ब्लॉक यंत्र व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC) द्वारा नियंत्रित है। इसका हरा आस्पेक्ट तप्पा खजुरिया छोर के दोहरी लाइन ब्लॉक यंत्र व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC) तथा डाउन गेट सिगनल सं० 1 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।
- (ग) डाउन गेट(समपार सं० 89) सिगनल सं० (1) का नार्मल आस्पेक्ट लाल है जो समपार सं० 89 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।
- (घ) अप अग्रिम प्रस्थान/गेट डिस्टेन्ट (समपार सं० 72) सिगनल सं० एस-4 का पीला आस्पेक्ट इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लॉक पैनल (खैराबाद(अवध)) व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC) द्वारा नियंत्रित तथा हरा आस्पेक्ट इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लॉक पैनल (खैराबाद(अवध)) व एक्सिल काउन्टर (HASSDAC) एवं अप गेट(समपार सं० 72) सिगनल सं० 4 के आफ आस्पेक्ट द्वारा नियंत्रित है।

कमशः पृष्ठ 19 पर

- (ड) अप गेट(समपार सं० 72) सिगनल सं० (4) का नार्मल आस्पेक्ट लाल है जो समपार सं० 72 के बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

नोट: (अ) डाउन होम सिगनल सं० एस-40 समपार सं० 93 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

- (ब) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 समपार सं० 93 की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

- (स) अग्रिम प्रस्थान सिगनलों का 'आफ' आस्पेक्ट सम्बन्धित टोकनलेस ब्लाक यंत्र/ब्लाक पैनल द्वारा नियंत्रित है।

- (द) अग्रिम प्रस्थान सिगनलों का प्रस्थान सिगनलों के आफ आस्पेक्ट पर नियंत्रण है।

4.1.9 अतिरिक्त सिगनल :

4.1.9.1 शंट सिगनल:—

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस.एच-73	राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13	लाइन सं० 4/5/6/7 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-74	प्रस्थान सिगनल सं० एस-14	लाइन सं० 6 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-68 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-75	राउटिंग होम सिगनल सं० एस-15	लाइन सं० 1/2/3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-76	प्रस्थान सिगनल सं० एस-16	लाइन सं० 7 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-68 तक या लाइन सं० 9 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-77	प्रस्थान सिगनल सं० एस-17	लाइन सं० 3 से सीतापुर सिटी छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 तक या एस.एच.-119 तक या लाइन सं० 20 तक या थामसनगंज साइडिंग में जाने हेतु।
एस.एच-78	प्रस्थान सिगनल सं० एस-18	लाइन सं० 8 से शंट सिगनल सं० एस.एच.-68 तक या लाइन सं० 9 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-79	प्रस्थान सिगनल सं० एस-19	लाइन सं० 1 से सीतापुर सिटी छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 तक या एस.एच.-119 तक या लाइन सं० 14/17/18 तक या थामसनगंज साइडिंग में जाने हेतु।
एस.एच-80	प्रस्थान सिगनल सं० एस-20	लाइन सं० 4 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-70 तक शंटिंग हेतु।

कमश: पृष्ठ 20 पर

एस.एच-81	प्रस्थान सिगनल सं० एस-21	लाइन सं० 2 से सीतापुर सिटी छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 तक या एस.एच.-119 तक या लाइन सं० 17/18 तक या थामसनगंज साइडिंग में जाने हेतु।
एस.एच-82	प्रस्थान सिगनल सं० एस-22	लाइन सं० 3 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-70 तक या लाइन सं० 15 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-83	प्रस्थान सिगनल सं० एस-23	लाइन सं० 8 से सीतापुर सिटी/हरगांव छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39/37 तक या लाइन सं० 10/11/12 में या थामसनगंज साइडिंग में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-84	प्रस्थान सिगनल सं० एस-24	लाइन सं० 2 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-70 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-85	प्रस्थान सिगनल सं० एस-25	लाइन सं० 7 से सीतापुर सिटी/हरगांव छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39/37 तक या लाइन सं० 11/12 में या थामसनगंज साइडिंग में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-86	प्रस्थान सिगनल सं० एस-26	लाइन सं० 1 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-70 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-88	प्रस्थान सिगनल सं० एस-28	लाइन सं० 5 से खैराबाद(अवध) छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक या शंट सिगनल सं० एस.एच.-70 तक शंटिंग हेतु।
एस.एच-89	प्रस्थान सिगनल सं० एस-29	लाइन सं० 4 से सीतापुर सिटी/हरगांव छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39/37 तक या लाइन सं० 11/12/13 में या थामसनगंज साइडिंग में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-91	प्रस्थान सिगनल सं० एस-31	लाइन सं० 5 से सीतापुर सिटी/हरगांव छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39/37 तक या लाइन सं० 11/12 में या थामसनगंज साइडिंग में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-92	राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32	लाइन सं० 1/2/3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-93	प्रस्थान सिगनल सं० एस-33	लाइन सं० 6 से सीतापुर सिटी/हरगांव छोर पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39/37 तक या लाइन सं० 11/12 में या थामसनगंज साइडिंग में शंटिंग के लिये आने हेतु।
(ख) अनाश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल संख्या	विवरण	
एस.एच-65	खैराबाद(अवध) छोर से राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13/15 तक आने हेतु।	
एस.एच-67	शंट सिगनल सं० एस.एच.-67 से राउटिंग होम सिगनल सं० एस-13/15 तक आने हेतु या लाइन सं० 5/6/7/8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।	

कमश: पृष्ठ 21 पर

एस.एच-68	तप्पा खजुरिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक आने हेतु।
एस.एच-70	तप्पा खजुरिया छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 तक आने हेतु।
एस.एच-94	लाइन सं० 11/12 से लाइन सं० 4/5/6/7/8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-96	हरगांव छोर से लाइन सं० 4/5/6/7/8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-98	सीतापुर सिटी छोर पर मेन लाइन से राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 तक या लाइन सं० 4/5/6/7/8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-103	शंट सिगनल सं० एस.एच.-103 से लाइन सं० 6/7/8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-108	लाइन सं० 10 से लाइन सं० 8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-109	तप्पा खजुरिया छोर से शंट सिगनल सं० एस.एच.-67/103 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-110	लाइन सं० 20 से लाइन सं० 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-111	लाइन सं० 9 से लाइन सं० 7/8 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-112	लाइन सं० 14 से लाइन सं० 1 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-113	लाइन सं० 15 से लाइन सं० 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-114	लाइन सं० 17/18 से लाइन सं० 1/2/20 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-115	लाइन सं० 20 से लाइन सं० 17/18 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-116	लाइन सं० 13 से लाइन सं० 4 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-118	एस.एच-118 से राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 तक शंटिंग के लिये आने हेतु।
एस.एच-119	एस.एच-119 से थामसनगंज साइडिंग को जाने हेतु।
एस.एच-120	थामसनगंज साइडिंग से एस.एच-118 तक या राउटिंग होम सिगनल सं० एस-32 तक या लाइन सं० 4/5/6/7/8 तक शंटिंग हेतु आने हेतु।

टिप्पणी : (i) विस्तृत जानकारी हेतु इस स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" को देखें।

(ii) सिगनल की विफलता की स्थिति में गाडियों साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 एवं 3.74 के अनुसार चलेगी। कार्यरत स्टेशन मास्टर खराब सिगनल एडवाइस टी-369(3बी) जारी करने के लिये जिम्मेदार होगा। सभी सिगनल विफलतायें सिगनल विफलता पंजिका (एस ई-32) में अंकित की जायेगी।

(iii) इकहरी लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिगनलों की विफलता की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लीयर टिकट जारी करेगा, इसके साथ ही पेपर लाइन क्लीयर की किताब में अंकित करेगा कि किस टेलीफोन पर लाइन क्लीयर लिया गया है तथा सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल हेतु कालिंग आन सिगनल को 'आफ' करेगा। संयुक्त अप अग्रिम प्रस्थान/गेट डिस्टेन्ट सिगनल सं० एस-4 की विफलता की स्थिति में गेट सिगनल के दिखाई देने तक सतर्कता पूर्वक जाने हेतु सतर्कता आदेश भी जारी किया जायेगा।

(देखें सं० नियम 14.13 (3)(ii))

कमशः पृष्ठ 22 पर

- (iv) दोहरी लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल की विफलता की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर टी-369(3बी) जारी करेगा तथा सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल हेतु कालिंग आन सिगनल को 'आफ' करेगा। संयुक्त डाउन अग्रिम प्रस्थान/गेट डिस्टेन्ट सिगनल सं० एस-2 की विफलता की स्थिति में गेट सिगनल के दिखाई देने तक सतर्कता पूर्वक जाने हेतु सतर्कता आदेश भी जारी किया जायेगा।

(देखें सं० नियम 14.13 (3)(i))

- (v) प्रस्थान सिगनल की विफलता की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल का कालिंग आन सिगनल 'आफ' करेगा। यदि प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल का कालिंग आन सिगनल भी विफल हो जाता है तो प्रस्थान सिगनल को 'आन' स्थिति में पार करने हेतु टी-369(3बी) जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.69(2)(3) के अनुसार मार्ग की सही सेटिंग सुनिश्चित करने के बाद ही टी-369(3बी) जारी करेगा।
- (vii) गाड़ी ट्रैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रदर्शित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि ई.आई. सिस्टम में दोष है, इसके मरम्मत हेतु संबंधित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि पीला प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जांच करे कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है, तो ट्रैक सर्किट को सही कार्यशील समझा जाये तथापि ई.आई. सिस्टम के मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।
- (viii) कांटों, सिगनलों, ब्लाक उपकरणों, नियंत्रक टेलीफोन इत्यादि की विफलता और उससे सम्बन्धित रख-रखाव/मरम्मत हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों की एक सूची (उनके मुख्यालय सहित) स्टे.सं.नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" में दी गयी है।

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने देने की कार्य पद्धति :

इस स्टेशन के रिले रूम पर दो ताले (एस.एम. लॉक एवं सिगनल लॉक) लगे होते हैं जिसकी अभिरक्षा क्रमशः कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं सिगनल कर्मचारी [जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो] द्वारा की जाती है। रिले रूम की चाबी स्टेशन के चाबी बॉक्स में लॉक करके रखी जाती है। जब कभी फेलियर/खराबी/रख-रखाव के लिये रिले रूम खोलने की आवश्यकता होती है तो रिले रूम की चाबी की विधिवत् इन्ट्री रजिस्टर में की जानी चाहिये तभी चाबी सिगनल कर्मचारी [जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो] को दिया जाना चाहिये। चाबी वापस लेते समय भी चाबी की इन्ट्री रजिस्टर में किया जाना चाहिये तथा स्टेशन मास्टर एवं टेक्निशियन (सिगनल) को उक्त कॉलम में हस्ताक्षर करना होता है। निरीक्षणों के दौरान इसकी जाँच की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 23 पर

4.3 पावर सप्लाई:-

इस स्टेशन में पावर सप्लाई हेतु अप ए.टी., डाउन ए.टी. व कामर्शियल(लोकल) सप्लाई के अतिरिक्त डीजल जनरेटर का प्रावधान है। अप ए.टी., डाउन ए.टी. व लोकल सप्लाई फेल हो जाने की स्थिति में सिगनल के लिए सप्लाई आई.पी.एस (इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई) से स्वतः ही चालू हो जाएगी। आई.पी.एस. को चार्ज करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को तत्काल चालू करवाने की व्यवस्था परिशिष्ट 'बी' के अनुलग्नक-॥ के अनुसार करेगा, जिनके द्वारा आई.पी.एस. को चार्ज किया जाता है।

(स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परि० "बी" के अनुलग्नक-॥ में देखें)

5. दूर संचार :

इस स्टेशन पर उपलब्ध दूर संचार के साधन की सूची के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट 'बी' देखें।

5.1 सेक्शन कंट्रोल/डिप्टी कंट्रोल/कर्षण पावर कंट्रोल :-

सेक्शन ट्रेन कंट्रोलर व कर्षण पावर कंट्रोलर से कंट्रोल टेलीफोन जुड़े है।

5.2 आटो/डी०ओ०टी० टेलीफोन :-

स्टेशन पर आटो एवं डी०ओ०टी० टेलीफोन की व्यवस्था है।

5.3 केबिन/गेटो पर मैगनेटो टेलीफोन :-

समपार सं० 72, 75, 89 एवं 93 के टेलीफोन इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े है।

5.4 आई०बी०एस० का आई०बी०एस० टेलीफोन :-

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

5.5 एक्सिल काउन्टर/रीसेट बाक्स का टेलीफोन :-

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

5.6 यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन :-

थामसनगंज साइडिंग से टेलीफोन द्वारा जुड़ा है।

5.7 वी.एच.एफ. सेट :-

स्टेशन पर उपलब्ध है।

5.8 सचल गाड़ी रेडियो संचार (एम.टी.आर.सी.) :-

स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

नोट :-उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट - बी के अनुसार सूचित करें।

6. गाड़ी संचालन :

गाड़ियों का आवागमन साधारण एवं सहायक नियम 8.01, 8.03 अध्याय 17 के अनुसार होगा। आगमन व प्रस्थान सिगनल साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.40, 3.42, 3.45 व 3.47 के अनुसार आफ किये जायेंगे। इस स्टेशन के कांटो व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन मास्टर कार्यालय में डबल V.D.U.(पी.सी.) की व्यवस्था है, जिसका वी.डी.यू. डायग्राम सं० एन.ई.आर./एल.जे.एन./एस.टी.पी./वी.डी.यू./2022/वी.ई.आर.-जीरो/27 दि. 06.10.22 मय संशोधन 'ए' दिनांक 15.11.22 संलग्न है।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी संचालन कर्मचारी जैसे स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, कांटावाला व फाटकवाला कें गाड़ी संचालन के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है। सभी कर्मचारीगण मंडल द्वारा निर्धारित रोस्टर में अपने-अपने शिफ्ट के अनुसार कार्य करेंगे।

क्रमशः पृष्ठ 24 पर

6.1.1 प्रत्येक पाली में कार्यरत गाड़ी संचालन कर्मचारी :

- (अ) स्टेशन अधीक्षक (पर्यवेक्षक)
- (ब) उप स्टेशन अधीक्षक
- (स) स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मास्टर(इनडोर)
- (द) स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मास्टर(आउटडोर)
- (य) कांटावाला
- (र) फाटकवाला

6.1.2 लाइनों की क्लीयरेन्स सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तर दायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर(इनडोर) लाइन की क्लीयरेंस जिससे कि गाड़ी का आगमन/प्रस्थान इस स्टेशन से होना है को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कार्य V.D.U.(पी.सी.) पर उपलब्ध ट्रैक सूचकों द्वारा किया जायेगा। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर(आउटडोर) द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्राइवेट नं० बुक गाड़ी पासिंग कर्मचारी के निजी अभिरक्षा में होनी चाहिए जोकि इसके उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

(विस्तृत विवरण के लिए सामान्य नियम 3.38, 3.40(3) एवं 8.03 तथा ट्रैक सर्किट इंडिकेशन के लिये स्टेशन संचालन नियम का परिशिष्ट 'बी' देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नयी तैनाती हुई है या स्टेशन पर 15 दिन या 15 दिनों से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले नियमित कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ना चाहिए और निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिए। जब कभी कोई शुद्धि पच्ची स्टेशन संचालन नियम में जारी की जाती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कर्मचारियों का पुनः आश्वासन अवश्य लिया जाए।

(सामान्य नियम 5.01(16) देखें।)

6.2 लाइन क्लीयर देने के लिए शर्त :

कार्यरत स्टेशन मास्टर(इनडोर) इस खंड के कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से विचार विमर्श के बाद ही लाइन क्लीयर देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर तब तक नहीं देगा जब तक कि :

- (क) पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी तरह न पहुँच गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से "आन" न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो :-

डाउन गाड़ियों के लिए (खैराबाद(अवध) छोर) :

स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-4 तक।

अप गाड़ियों के लिए (तप्पा खजुरिया छोर) :

स्टेशन के डाउन बी.एस.एल.बी तक।

डाउन गाड़ियों के लिए (सीतापुर सिटी छोर) :

स्टेशन के डाउन बी.एस.एल.बी तक।

अप गाड़ियों के लिए (हरगाँव छोर) :

स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-37 तक।

क्रमशः पृष्ठ 25 पर

(ध) निम्न समपार फाटक पर कार्यरत फाटकवाले को समपार संचालन अनुदेश के अनुरूप सूचित/प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान न कर लिया हो:-

डाउन गाड़ियों के लिए (खैराबाद(अवध) छोर) :
समपार सं० 72

अप गाड़ियों के लिए (तप्पा खजुरिया छोर) :
समपार सं० 89

डाउन गाड़ियों के लिए (सीतापुर सिटी छोर) :
कोई नहीं

अप गाड़ियों के लिए (हरगाँव छोर) :
समपार सं० 75

टिप्पणी: उपरोक्त के अतिरिक्त साधारण नियम 8.03(1) व (2) एवं सहायक नियम 8.03 (i) (ii) (iii) एवं (iv) में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

6.2.1 गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त :

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध प्वाइंटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना :

सहायक नियम 5.19 (2) देखें ।

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.10 देखें ।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

6.2.1.5 कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

6.2.1.6 कोई अन्य विशेष शर्त :-

उप स्टेशन अधीक्षक वी.टी.ओ. देखकर आवश्यकतानुसार फाग सिगनल का लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उप स्टेशन अधीक्षक के उपलब्ध न होने पर स्टेशन मास्टर/आउटडोर द्वारा वी.टी.ओ. देखकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा।

6.3 आगमन सिगनलों को आफ करने की शर्तें :

किसी भी गाड़ी के लिए आगमन सिगनल तब तक "आफ" नहीं किये जायेंगे जब तक कि :-

(क) सभी फेसिंग कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है ,सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि V.D.U.(पी.सी.) पर दिखें।

(ख) सभी ट्रेलिंग कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है, सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि V.D.U.(पी.सी.) पर दिखें।

कमश: पृष्ठ 26 पर

(ग) लाइन जिस पर गाड़ी को गुजरना है ,यार्ड के ट्रेलिंग छोर की तरफ निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो :-

(अ) सीतापुर सिटी/हरगॉव से आने वाली गाड़ियों हेतु :

1. सीतापुर सिटी छोर से लाइन सं० 1 पर सैण्ड हम्प अथवा मेन लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद(अवध)) तक।
2. सीतापुर सिटी छोर से लाइन सं० 2 पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद (अवध)) तक।
3. सीतापुर सिटी छोर से लाइन सं० 3 पर डिरेलिंग स्विच सं० 215एक्स तक या मेन लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद(अवध)) तक।
4. सीतापुर सिटी/हरगॉव छोर से लाइन सं० 4 पर स्नैग डेड एण्ड तक अथवा मेन लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद (अवध)) तक।
5. सीतापुर सिटी/हरगॉव छोर से लाइन सं० 5 पर स्नैग डेड एण्ड तक (कॉटा सं० 206 रिवर्स) अथवा मेन लाइन पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद (अवध)) तक।
6. सीतापुर सिटी/हरगॉव छोर से लाइन सं० 6 पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2 (तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद (अवध)) तक।
7. सीतापुर सिटी/हरगॉव छोर से लाइन सं० 7 पर डिरेलिंग स्विच सं० 207एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2(तप्पा खजुरिया)/एस-4 (खैराबाद (अवध)) तक।
8. सीतापुर सिटी/हरगॉव छोर से लाइन सं० 8 पर स्नैग डेड एण्ड तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-2(तप्पा खजुरिया) तक।

(ब) खैराबाद(अवध)/तप्पा खजुरिया से आने वाली गाड़ियों हेतु:

1. लाइन सं० 1 पर डिरेलिंग स्विच सं० 219एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी) तक।
2. लाइन सं० 2 पर डिरेलिंग कॉटा सं० 233एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी) तक।
3. लाइन सं० 3 पर डिरेलिंग कॉटा सं० 220एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी) तक।

कमश: पृष्ठ 27 पर

4. लाइन सं० 4 पर डिरेलिंग स्विच सं० 227एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी)/एस-37 (हरगॉव) तक।
5. लाइन सं० 5 पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी)/एस-37 (हरगॉव) तक।
6. लाइन सं० 6 पर डिरेलिंग कॉटा सं० 230एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी)/एस-37 (हरगॉव) तक।
7. लाइन सं० 7 पर स्नैग डेड एण्ड तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी)/एस-37 (हरगॉव) तक।
8. लाइन सं० 8 पर डिरेलिंग कॉटा सं० 236एक्स तक अथवा अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-39 (सीतापुर सिटी)/एस-37 (हरगॉव) तक।

(घ) समपार फाटक बंद व लाक न कर दिया हो :-
खैराबाद(अवध)/तप्पा खजुरिया छोर से गाड़ियों हेतु :
 -कोई नहीं-

सीतापुर सिटी छोर से गाड़ियों हेतु :
 समपार सं० 93

हरगॉव छोर से गाड़ियों हेतु :
 कोई नहीं

नोट : गाड़ियों को आने/जाने हेतु कांटे एवं सिगनलों के परिचालन के लिये स्टे.सं.नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' को देखें।
 (साधारण एवं सहायक नियम 3.38 एवं 3.40 को देखें)

6.3.1 चालू लाइन पर गाड़ियों का आगमन :

गाड़ियों के आगमन हेतु स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व उसका अनुलग्नक-V अवश्य पढ़ा जाय। जिस गाड़ी का लाइन क्लियर दिया जा चुका है उस गाड़ी के आगमन के लिए स्टेशन मास्टर(इनडोर) को चाहिये कि:

- क. V.D.U.(पी.सी.) पर उपलब्ध ट्रैक सर्किट के इंडीकेशनों को देखकर वांछित लाइन का ओवर-लैप सहित साफ होना सुनिश्चित करेगा।
- ख. आने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये V.D.U. (पी.सी.) द्वारा सम्बन्धित सिगनल पर माउस द्वारा कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करने पर प्राप्त मीनू पर प्रदर्शित सम्बन्धित लाइन के रूट पर माउस से कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करने पर सम्बन्धित लाइन का सिगनल आफ हो जाएगा।
- ग. सिगनल के आफ होते ही रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे।
- घ. सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ प्रकाशित हो जायेंगी।

कमशः पृष्ठ 28 पर

- ड. प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल जायेगी जो संबंधित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि संबंधित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी वी.डी.यू. पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों का आफ होने का सूचक है।
- च. जब गाड़ी होम सिगनल पार कर जायेगी तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो जायेंगे।
- छ. गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती-जाती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती है और जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे-वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं तथा सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।
- ज. गाड़ी आगमन के पश्चात कांटों को सामान्य व सहायक नि० 3.38 के अनुसार संरक्षित करेंगे।

6.3.2 सिगनल को पुनः "आन" करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व :
सामान्य एवं सहायक नियम 3.36 के अनुसार स्टेशन मास्टर सिगनल का पुनः आन करना/होना सुनिश्चित करे।

6.4 एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की कासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (1) अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 4 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन
- और
- डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
- डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
- अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
- अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
- अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान या
- डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान।
- (2) अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 5 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन
- और
- डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
- डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
- अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या

कमश: पृष्ठ 29 पर

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (खैराबाद(अवध) छोर को)
प्रस्थान। या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान
या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया
छोर को) प्रस्थान।

- (3) अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 6 पर ओवरलैप में लाइन
(तप्पा खजुरिया छोर) बनाकर आगमन

और

डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5
पर ओवरलैप बनाकर आगमन या

डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर

ओवरलैप बनाकर आगमन या

अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (खैराबाद(अवध) छोर को)
प्रस्थान। या

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को)
प्रस्थान

- (4) अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 7 पर डी.एस. 207एक्स तक
ओवरलैप बनाकर आगमन

और

डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5
पर ओवरलैप बनाकर आगमन या

अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या

डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर

ओवरलैप बनाकर आगमन या

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को)
प्रस्थान या

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (खैराबाद(अवध) छोर
को) प्रस्थान। या

डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (तप्पा खजुरिया
छोर को) प्रस्थान।

- (5) अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 8 पर डेड एण्ड बनाकर
आगमन

और

डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5
पर ओवरलैप बनाकर आगमन या

अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या

डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर

ओवरलैप बनाकर आगमन या

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को)
प्रस्थान या

क्रमशः पृष्ठ 30 पर

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान।

- (6) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1 पर सैन्ड हम्प बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 3/4/6/7 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 3/4/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 2/3/4/5/6/7 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 2/3/4/5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगाँव छोर को) प्रस्थान
- (7) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 2 पर खैराबाद (अवध) छोर में लाइन ओवरलैप बनाकर आगमन
और
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगाँव छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान।
- (8) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 3 पर डी.एस. 215एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/4/6/7 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/4/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/4/5/6/7 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/4/5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगाँव छोर को) प्रस्थान

कमश: पृष्ठ 31 पर

- (9) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 4 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन
 और
 डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान। या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान।
- (10) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 5 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन
 और
 डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान। या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान।
- (11) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 6 पर ओवरलैप (तप्पा खजुरिया छोर) बनाकर आगमन
 और
 डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान।
- (12) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 7 पर डी.एस. 207एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
 और
 डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या

क्रमशः पृष्ठ 32 पर

अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान। या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान।

- (13) डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 8 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन

और
 डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान। या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान।

- (14) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 1 पर डी.एस. 219एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन

और
 डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 3/4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 2/3/4/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान। या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान

- (15) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 2 पर डी.एस. 233एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन

और
 डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
 अप ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान। या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान या
 डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान

क्रमशः पृष्ठ 33 पर

- (16) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 3 पर डी.एस.
220एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/4/5/6/7
/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/4/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी
छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगॉव छोर को)
प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को)
प्रस्थान
- (17) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 4 पर डी.एस.
227एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर ओवरलैप
बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/3/6/7/8
पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी
छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान
या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को)
प्रस्थान
- (18) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 5 पर ओवरलैप
(सीतापुर सिटी छोर) बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी) छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर ओवरलैप
बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4 से (खैराबाद(अवध) छोर को)
प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान
या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को)
प्रस्थान

कमशः पृष्ठ 34 पर

- (19) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 6 पर डी.एस. 230एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान
- (20) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 7 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6 से (हरगाँव छोर को) प्रस्थान
- (21) अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 8 पर डी.एस. 236एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/2/3/4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 से (खैराबाद(अवध) छोर को) प्रस्थान। या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7 से (हरगाँव छोर को) प्रस्थान

क्रमशः पृष्ठ 35 पर

- (22) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 1 पर डी.एस.
219एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 3/4/5/6/7
/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 2/3/4/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी
छोर को) प्रस्थान। या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगाँव छोर को)
प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को)
प्रस्थान
- (23) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 2 पर डी.एस.
233एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8
पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को)
प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगाँव छोर को)
प्रस्थान या
अप ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी छोर को)
प्रस्थान।
- (24) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 3 पर डी.एस.
220एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/4/5/6/7
/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगाँव छोर से) लाइन सं० 4/5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 5/6/7/8 पर
ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को)
प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6/7/8 से (हरगाँव छोर को)
प्रस्थान या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/4/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी
छोर को) प्रस्थान।

क्रमशः पृष्ठ 36 पर

- (25) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से)लाइन सं० 4 पर डी.एस. 227एक्स तक ओवरलैप बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/3/5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 5/6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/5/6/7/8 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान । या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 5/6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान
- (26) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से)लाइन सं० 5 पर ओवरलैप (सीतापुर सिटी छोर) बनाकर आगमन
और
अप ट्रेन का (हरगॉव छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 6/7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 6/7/8 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान
- (27) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से)लाइन सं० 6 पर ओवरलैप डी.एस. 230एक्स तक बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का (तप्पा खजुरिया छोर से) लाइन सं० 7/8 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 7/8 से (तप्पा खजुरिया छोर को) प्रस्थान
- (28) डाउन ट्रेन का (खैराबाद(अवध) छोर से) लाइन सं० 7 पर डेड एण्ड बनाकर आगमन
और
डाउन ट्रेन का (सीतापुर सिटी छोर से) लाइन सं० 1/3 पर ओवरलैप बनाकर आगमन या
अप ट्रेन का लाइन सं० 1/2/3/4/5/6 से (सीतापुर सिटी छोर को) प्रस्थान या
डाउन ट्रेन का लाइन सं० 4/5/6 से (हरगॉव छोर को) प्रस्थान

क्रमशः पृष्ठ 37 पर

- 6.4.1** इस स्टेशन पर गाड़ियों के प्राथमिकता के आधार पर आगमन/प्रस्थान एवं क्रॉसिंग स्टेशन संचालन नियम में संलग्न **परिशिष्ट "बी" व अनुलग्नक-V** के अनुसार किया जायेगा ।
- 6.4.2** गाड़ियों के क्रॉसिंग के समय सबसे बाहरी कांटों को जिन पर से गाड़ी गुजरेगी इस प्रकार सेट व लाक होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में दोनों गाड़िया एक ही लाइन पर आकर न मिल सकें ।

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :

- क.** कार्यरत स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर बिना रुके पास होने वाली गाड़ियों के अन्तिम वाहन के पीछे टेल बोर्ड/टेल लैम्प/टेल लैम्प लाइट को स्वयं देखकर गाड़ी का सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करेगा ।
- ख.** स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) पर ब्लाक सेक्शन क्लीयर इण्डिकेशन देखकर सम्बन्धित ब्लाक सेक्शन का क्लीयर होना सुनिश्चित करेंगे। इण्डिकेशन की विफलता की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर निर्धारित प्रोफार्मा टी-1410 पर किसी कर्मचारी द्वारा गार्ड से सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मंगवायेगा ।

(देखें सा० एवं स०नियम 4.17)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :

6.6.1 चालू लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान :

- (क)** स्टेशन मास्टर(इनडोर) द्वारा सम्बन्धित स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो ।
- (ख)** **V.D.U.(पी.सी.)** पर सम्बन्धित ट्रैक सर्किट की ट्रैक आकुपेन्सी बत्ती न प्रकाशित हो ।
- (ग)** जाने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये **V.D.U. (पी.सी.)** द्वारा सम्बन्धित सिगनल पर माउस द्वारा कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करने पर प्राप्त सम्बन्धित मीनू पर माउस से कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक करने पर सम्बन्धित सिगनल आफ हो जाएगा तथा रूट में पड़ने वाले सभी सम्बन्धित कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे। सिगनल 'आफ' होने पर पूरा रूट सफेद प्रकाशित हो जायेगा ।
- (घ)** सम्बन्धित कांटे के सेट एवं लाक होने पर कांटे के निकट में सफेद इंडिकेशन मिलना सुनिश्चित करेगा। **V.D.U.(पी.सी.)** पर प्रस्थान सिगनलों का आफ आस्पेक्ट, प्रस्थान होने वाली सम्बन्धित गाड़ी के प्रस्थान सिगनलों का आफ हो जाना सुनिश्चित करेगा ।
- (ङ.)** सम्बन्धित ट्रैक सर्किट का ट्रैक आकुपेन्सी प्रकाश 'लाल' गाड़ी के सम्बन्धित ट्रैक सर्किट पर आने पर प्रकाशित होगा और गाड़ी के गुजरने एवं जाने के पश्चात बुझ जायेगा ।
- (च)** गाड़ी के जाने के पश्चात कांटों को उनकी सामान्य स्थिति में कर लें ।

कमशः पृष्ठ 38 पर

6.6.2 गैर चालू लाइनों/बिना सिगनल वाली लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान:
सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

6.6.3 काशन आर्डर (सतर्कता आदेश) का जारी किया जाना :

यह स्टेशन नोटिस स्टेशन है अतः सामान्यतः सभी अप/डाउन गाड़ियों को रोक कर सतर्कता आदेश (टी-409) जारी किया जायेगा। विशेष आदेशों के अन्तर्गत किसी गाड़ी का बिना रुके जाना हो तो उस गाड़ी का सतर्कता आदेश मिलना सुनिश्चित करके गाड़ियाँ बिना रुके जा सकती हैं।

स्टे.मा/आउटडोर द्वारा सतर्कता आदेश तैयार किया जायेगा। लाइन की मरम्मत होने के या किसी अन्य घटना की, जिससे गाड़ियों की संरक्षा को खतरा हो तथा जिसके लिये सतर्कता की आवश्यकता हो, ऐसी सूचना मिलने पर, **स्टे.मा/आउटडोर** सूचना मिलने की प्राप्ति स्वीकृति भेजेगा तथा प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिये कोई गाड़ी अपने यहाँ से भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सतर्कता आदेश के माध्यम से ऐसे खतरे तथा खतरे के स्थल के विषय में **लोको पायलट** एवं **गार्ड** को चेतावनी दे दी गई है। वह प्रतिबन्ध स्थल के पिछले स्टेशन को, उस प्रथम गाड़ी को जिसको सतर्कता आदेश दिया गया है, विवरण देगा।

यदि इस स्टेशन को गाड़ी की दिशा में अगले नोटिस स्टेशन तक किसी स्टेशन के बीच विशेष काशन की आवश्यकता की सूचना नहीं है तो **स्टे.मा/आउटडोर** अपने यहाँ से चलने वाली प्रत्येक गाड़ी के **लोको पायलट** एवं **गार्ड** को 'कोई नहीं' सतर्कता आदेश जारी करेगा।

नोट:- इस स्टेशन से लोको पायलट तबतक गाड़ी नहीं चलायेगा और गार्ड गाड़ी चलाने का संकेत तबतक नहीं देगा जबतक कि उन्हें 'सतर्कता आदेश' न मिल गया हो। **स्टे.मा/आउटडोर** गाड़ी को प्रस्थान किये जाने से पूर्व गाड़ी के लोको पायलट व गार्ड से सतर्कता आदेश प्राप्त हो जाना सुनिश्चित करेगा।

(सा0 एवं सहा0 नियम 4.09 देखें)

6.7 गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके जाना :

6.7.1 यह स्टेशन नोटिस स्टेशन होने के कारण कोई गाड़ी इस स्टेशन पर बिना रुके नहीं जायेगी, परन्तु विशेष आदेशों के अन्तर्गत किसी गाड़ी को इस स्टेशन से बिना रुके जाना हो तो गाड़ियाँ मेन लाइन से सा0 नियम 4.10 एवं साधा0 एवं सहा0 नियम 4.11 के अन्तर्गत स्टेशन से बिना रुके जायेगी। यदि किसी कारणवश मेन लाइन से बिना रुके जाना सम्भव न हो तो गाड़ियों को लूप लाइन से निर्धारित गति से बिना रुके जाने की अनुमति है। लूप लाइन का "आफ" आस्पेक्ट तब तक नहीं आयेगा जबतक कि गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर नहीं आ जाती है। यार्ड के ले-आउट के कारण **खैराबाद(अवध)** स्टेशन से आने वाली **डाउन** ट्रेन तथा **हरगाँव** स्टेशन से आने वाली **अप** ट्रेन प्रतिबन्धित गति से रन-थ्रू जा सकती है।

कमशः पृष्ठ 39 पर

- 6.7.1** बिना रुके जाने वाली गाड़ियों को दोनों तरफ से देखना चाहिये। कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन भवन के सामने खड़े होकर आल राइट सिगनल स्वयं देगा और आफ साइड से एक कार्यरत स्टेशन कर्मचारी देगा। आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान स्टेशन स्टाफ ट्रेन कू व गार्ड के बीच दिन में हरी झण्डी तथा रात में हरी बत्ती द्वारा किया जायेगा।

(सहायक नियम 5.01(5) देखें)

- 6.7.3** लूप लाइन पर स्थित वाहनो द्वारा स्टेशन की दृश्यता अवरुद्ध होने के कारण जब स्टेशन मास्टर के लिए स्थिर वाहनो को पार कर दूसरी तरफ सीधे जाने वाली गाड़ी से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करना सम्भव न हो तो स्टेशन मास्टर सीधे जाने वाली गाड़ी के दूसरी तरफ ड्राइवर व गार्ड से आल राइट सिगनल का आदान-प्रदान करने के लिए एक सक्षम रेल कर्मचारी को वर्दी के साथ नियुक्त करेगा। ऐसी अवस्था में ड्राइवर तथा गार्ड भी इस प्रकार के सिगनल के लिए गाड़ी के दूसरी तरफ सतत दृष्टि रखेंगे।

(देखे साधारण एवं सहायक नियम 5.01(5)(vii))

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :

6.8.1 ट्रेक सर्किट की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

ट्रेक सर्किट विफलता की स्थिति में स्टे.मा./आउटडोर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा सम्बन्धित ट्रेक क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जायेगा। प्वाइन्ट जोन के ट्रेक सर्किट की विफलता होने की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा ट्रेक क्लीयरेंस सुनिश्चित किया जायेगा। स्टे.मा. द्वारा जब भी ट्रेक सर्किट खराब होने पर इमरजेन्सी प्वाइन्ट आपरेशन करना हो तो काउन्टर बाक्स पर इमरजेन्सी एस.एम. 'की' लगायेगा, जिससे वी.डी.यू. पैनल पर इमरजेन्सी एस.एम. 'की' इन का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा। तत्पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्वाइन्ट पर कर्सर से राइट क्लिक करेगा, वी.डी.यू. पर कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे तत्पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर इमरजेन्सी नार्मल/रिवर्स विकल्प चुनकर लेफ्ट क्लिक करेगा। इस कार्यवाही से प्वाइन्ट वांछित दशा में आपरेट हो जायेगा। इमरजेन्सी प्वाइन्ट आपरेशन काउन्टर में रीडिंग एक नम्बर बढ़ जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया से कॉटो के सेट न होने पाने की दशा में क्रेन्क हैण्डिल की सहायता से कॉटों को सेट किया जायेगा। स्टे.मा. द्वारा इसकी प्रविष्टि स्टे.मा. डायरी एवं सिगनल विफलता रजिस्टर व वीडर गणक रजिस्टर में की जायेगी। स्टे.मा. को उपरोक्त कार्यवाही करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

(सा० नियम 3.38(1), 3.40(2), 8.03,14.13(1)(2) देखें)

6.8.2 कांटो की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :

मोटर कांटों की विफलता की स्थिति में, कांटों की सेटिंग, क्रेन्क हैण्डिल के उपयोग से की जायेगी। क्रेन्क हैण्डिल को लीवर लाक कम सर्किट कंट्रोलर असेम्बली से निकालने की पद्धति स्टेशन संचालन नियमावली के पैरा 4.1(xiii) एवं कांटो के संचालन की विस्तृत पद्धति परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-I में दिया गया है।

कमशः पृष्ठ 40 पर

- 6.8.3 सिगनल की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**
सिगनल की विफलता के मामले में विस्तृत कार्य पद्धति के लिये सामान्य नियम 3.68(1)(2), सहायक नियम 3.68 सामान्य नियम 3.69, सामान्य एवं सहायक नियम 3.70 देखें ।
- 6.8.4 ब्लाक यंत्रों की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**
ब्लाक यंत्रों की विफलता की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 के अनुसार किया जायेगा ।
- 6.8.5 एक्सल काउन्टर/एक्सल काउन्टर ब्लाक की विफलता के मामले में कार्य पद्धति :**
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व अनुलग्नक VI में दिया गया है ।
- 6.8.6 क्षतिग्रस्त कांटों पर कार्य करने की पद्धति :**
सामान्य नियम 3.77(1)(2) एवं सहायक नियम 3.77(i) देखें ।
- 6.8.7 अवरुद्ध लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :**
सामान्य नियम 5.09(1)(2)(3) एवं सहायक नियम 5.09(i) देखें ।
- 6.8.8 बिना सिगनल वाली लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति :**
सामान्य नियम 5.10(1)(2) एवं सहायक नियम 5.10(i)(ii)(iii) देखें ।
- 6.8.9 शन्ट सिगनल की विफलता पर कार्य करने की पद्धति:-**
जब शन्ट सिगनल के लिए रूट सेट हो और सिगनल आफ न हो रहा हो और यदि वी.डी.यू. पर रूट लाइट प्रदर्शित हो चुकी हो तो स्टेशन मास्टर खराब सिगनल पर शन्टिंग को नियन्त्रण करने के उद्देश से हैंड सिगनल देने के लिए रेल सेवक को नियुक्त कर देगा तथा निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनलों से शन्टिंग संचालन की अनुमति दे सकता है। यदि वी.डी.यू. पर रूट लाइट नहीं दिखाई दे रही है तो मार्ग में पड़ने वाले सभी कांटों को खराब समझा जाएगा। शन्टिंग प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कांटों की सही सेटिंग की जांच करेगा और सभी कांटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किए जाने के बाद ही निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनल द्वारा शन्टिंग कराएगा। ऐसे मामले में स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि कोई संदेहात्मक संचालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही सिगनल ठीक हो जाये या चालक कार्यमुक्त हो जाये—इन दोनों में जो पहले हो—तो चालक से मेमो वापस लेकर कार्यालय प्रति पर चिपका दिया जायेगा।

(देखे सहायक नियम 3.68(4)(i)(ii))

- 6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उपलब्ध :** सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 व स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परि० "बी" व अनुलग्नक—VI में देखें।

7. लाइन अवरुद्ध होना :

सामान्यतः परिचालित लाइनो को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। परन्तु जब किसी परिचालित लाइन को अवरुद्ध करना ही पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 5.19 का पालन करें तथा कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से प्राइवेट नं० का आदान प्रदान अवश्य करें। सम्बन्धित लाइन के कांटे व सिगनल ब्लाक करने हेतु स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परि० "बी" व अनुलग्नक—V में देखें।

क्रमशः पृष्ठ 41 पर

8. शंटिंग :**8.1 सामान्य सावधानियाँ :**

सहायक नियम 5.14(1)(2)(3) देखें।

8.2 आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग :

(i) जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो स्टेशन सेक्शन के बाहर कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा किन्तु स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कार्य लगातार किया जा सकता है परन्तु यह तब जब आवश्यक सिगनल आन रखे जाये।

(ii) जब किसी ऐसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गयी है, आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल "आफ" किये जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन कॉटों की तरफ नहीं किया जायेगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को गुजरना है।

8.3 (i) शंटिंग पर प्रतिबन्ध :

(क) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) धुन्ध या कोहरा या किसी भी कारण यदि दृश्यता बाधित हो तो किसी भी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने के पश्चात उसके सामने उन लाइनों पर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है जो पृथक नहीं है।

(ii) कोई अन्य प्रमुख विशेषतायें :

—कुछ नहीं—

8.4 इकहरी लाइन पर शंटिंग : स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक— III देखें।

8.4.1 ब्लॉक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने के पूर्व)
सामान्यतया इस स्टेशन पर प्रथम रोक सिगनल तक लिखित शंटिंग मेमो देकर शंटिंग किये जाने की अनुमति है परन्तु विशेष परिस्थिति में प्रथम रोक सिगनल के बाहर शंटिंग हेतु, लाइन को ब्लॉक बैक कर शंटिंग चाभी/शंटिंग आदेश देकर शंटिंग की जा सकती है।
(सा० नियम 8.12, 8.13 व 8.15 देखें)

8.4.2 आती हुई गाड़ी की दिशा में शंटिंग :—

इस स्टेशन पर आवश्यक सिगनल 'आन' रखकर सबसे बाहरी सम्मुख कांटों तक निर्बाध रूप से शंटिंग की जा सकती है परन्तु सम्मुख कांटों के बाहर एडवांस्ड स्टार्टर तक शंटिंग, सा०नि० 8.09 में दिये गये शर्तों का अनुपालन करते हुये, करने की अनुमति है।

यदि गाड़ी के आने के लिये सिगनल 'आफ' कर दिये हो तो जिस लाइन पर गाड़ी आ रही है उस लाइन से जो लाइन अलग नहीं है उस पर शंटिंग करने की अनुमति नहीं है।

8.4.3 जाती हुई गाड़ी के पीछे शंटिंग :—

इस स्टेशन पर जाती हुई गाड़ी के पीछे प्रथम रोक सिगनल तक शंटिंग की अनुमति है बशर्ते जाने वाली गाड़ी प्रथम रोक सिगनल को पार कर गई हो और इसकी यात्रा चालू है।

क्रमशः पृष्ठ 42 पर

8.4.4 शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :-

साधारण एवं सहायक नियम सं० 5.13 एवं 5.14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी आने वाली गाड़ी के लिये यदि सिग्नल आफ कर दिया गया है तो शन्टिंग संचालन नहीं किया जायेगा, जब तक कि लाइन जिस पर शन्टिंग किया जाना है, आने वाली गाड़ी के लाइन से आइसोलेट नहीं है।

टिप्पणी:-शंटिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं लाक कर दिये जायेंगे।

8.4.5 इकहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :-

ब्लाक विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शंटिंग की जायेगी।

8.5 दोहरी लाइन पर शंटिंग: स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परि० 'बी' का अनुलग्नक IV देखें।**8.5.1 ब्लाक बैक :**

पिछले ब्लाक सेक्शन में शंटिंग या अन्य किसी कारण से अवरोध की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लाक सेक्शन साफ नहीं हो और ब्लाक बैक नहीं कर दिया जाता है।

(सामान्य नियम 8.06(2), 8.14 एवं 8.15 देखें)

8.5.2 ब्लाक फारवर्ड :

अगले ब्लाक सेक्शन में शंटिंग या अन्य किसी कारणवश अवरोध की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ब्लाक सेक्शन साफ नहीं है और ब्लाक फारवर्ड नहीं कर दिया गया है।

(सामान्य नियम 8.06(3), 8.14 एवं 8.15 देखें)

टिप्पणी: शंटिंग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं लाक कर दिये जायेंगे।

8.5.3 दूर जा रही गाड़ी के पीछे शंटिंग :

सामान्य नियम 8.14 देखें।

8.5.4 आई.बी.एस. तक शंटिंग :

यहां व्यवस्था नहीं है।

8.5.5 आई.बी.एस. के बाद शंटिंग :

यहां व्यवस्था नहीं है।

8.5.6 दोहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिंग :

ब्लाक विफलता सम्बन्धी नियमों का पालन करते हुये शंटिंग की जायेगी।

8.6 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग :

स्टेशन के सीतापुर सिटी छोर पर थामसनगंज साइडिंग की व्यवस्था है। रनिंग लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8 द्वारा थामसनगंज साइडिंग जाने हेतु तथा थामसनगंज साइडिंग से रनिंग लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8 में वापस आने के लिए शन्ट सिग्नल की व्यवस्था है। जब स्टेशन से साइडिंग में जाना हो तो स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी के गार्ड को शन्टिंग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश बताया जायेगा तथा कार्यरत गार्ड निर्देशों को समझ कर इस सम्बन्ध में बनाये गये रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर करेगा।

कमश: पृष्ठ 43 पर

इसके बाद स्टेशन मास्टर द्वारा साइडिंग जाने के लिए आवश्यक लाइन बनाकर एवं समपार 93 पर कार्यरत गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके समपार को बन्द व लाक कराने के बाद वी.डी.यू. से सम्बन्धित लाइन के शन्ट सिगनल को 'आफ' किया जायेगा। शन्टिंग ट्रेन का लोको पाइलट/गार्ड समपार सं० 93 के पहले स्थित स्टाप बोर्ड से शन्टिंग कर्मचारी/गेटमैन द्वारा 'आगे बढ़ो' का हाथ सिगनल दिखाया जाना सुनिश्चित करके ही स्टाप बोर्ड को पार करते हुए समपार को पास करेगा तथा शन्टिंग कर्मचारी द्वारा साइडिंग में आवश्यक लाइन बनाकर गाड़ी का प्लेसमेंट कराया जायेगा। प्लेसमेंट होने के बाद स्टेशन से साइडिंग तक लाइन के अवरोध रहित होने की सूचना गार्ड/शन्टिंग कर्मचारी द्वारा स्टे. मा. को दी जायेगी। साइडिंग से वापस आते समय गार्ड/शन्टिंग कर्मचारी द्वारा लोड तैयार होने की सूचना दिये जाने पर स्टे.मा. द्वारा समपार सं० 93 पर गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके समपार सं० 93 को बन्द व लाक कराया जायेगा। शन्टिंग कर्मचारी द्वारा समपार सं० 93 का बन्द व लाक होना सुनिश्चित कर साइडिंग में आवश्यक लाइन बनाकर स्टे.मा. को सूचित करेगा व गाड़ी को स्टेशन की तरफ शन्ट सिगनल सं० एस.एच.-120 तक पाइलट करके लायेगा। शन्टिंग ट्रेन का लोको पाइलट/गार्ड समपार सं० 93 के पहले स्थित स्टाप बोर्ड से शन्टिंग कर्मचारी/गेटमैन द्वारा 'आगे बढ़ो' का हाथ सिगनल दिखाया जाना सुनिश्चित करके ही स्टाप बोर्ड को पार करते हुए समपार को पास करेगा। स्टे.मा. द्वारा आवश्यकतानुसार रनिंग लाइन सं० 1/2/3/4/5/6/7/8 पर लाये जाने हेतु आवश्यकतानुसार शन्ट सिगनल को 'आफ' किया जायेगा। स्टेशन पर पूरा लोड पहुँचने पर गार्ड/शन्टिंग कर्मचारी द्वारा स्टे.मास्टर को साइडिंग से स्टेशन तक लाइन के अवरोध रहित होने की सूचना दी जायेगी।

नोट:- जब यार्ड में दोनों छोरों से एक साथ शन्टिंग करनी हो, तब शन्टिंग के काम का कार्यभारी व्यक्ति किसी गाड़ी या डिब्बों की शन्टिंग करने या उन्हें पीछे धकेलने से पहले यदि ऐसा करने पर उस लाइन या साइडिंग का उल्लंघन होता हो जिस पर दूसरे सीरे से वाहन शन्ट किये जा सकते हो, अपनी ओर से स्टे.मा./केबिन स्टे.मा./केबिन मैन को यह अनुदेश देगा के वह दूसरे सिरे पर स्थित स्टे.मा./केबिन स्टे.मा./केबिन मैन को यह सूचित कर दे कि वह दूसरे सिरे से की जाने वाली शन्टिंग के कार्यभारी व्यक्ति को इस ओर से की जाने वाली शन्टिंग के बारे में जानकारी दे दे। ऐसी सूचना देते समय वह उस लाइन का विवरण भी देगा जिस पर गाड़ी या डिब्बे शन्ट किये जायेंगे। साथ ही साथ वह एक कर्मचारी को डिब्बों के पीछे जाकर माल डिब्बों के ब्रेक लगाने अथवा कोई ब्रेकवान होतो उनके हाथ ब्रेको को लगाने के लिए तैनात करेगा ताकि पीछे की ओर के कॉटो का उल्लंघन न हो सके। ब्रेक लगाने के लिए पीछे भेजे गये कर्मचारी को यह भी अनुदेश देना चाहिए कि जब गाड़ी पीछे की ओर उल्लंघन चिन्ह के समीप पहुँचे तो वह खतरा सिगनल दिखाये। यदि लाइन घुमाव पर हो, तो लोको पायलट को उक्त सिगनल दोहराने के लिए कुछ दूरी के बीच अन्य कर्मचारी तैनात किये जायेंगे जिससे गाड़ी को रोका जा सके और बगली टक्कर बचायी जा सके। सभी यार्ड मास्टरों, यार्ड पर्यवेक्षकों तथा शन्टिंग मास्टरों को यार्ड के हर लाइन की क्षमता मालूम होनी चाहिए।

(PCOM'S/NER letter no.T/104/OB/Master file date 19.12.17)

कमशः पृष्ठ 44 पर

9. असामान्य परिस्थितियों :

(क) असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम :

- (i) स्टेशन पर दिये हुए स्थावर सिगनलों में से किसी के विफल होने की दशा में साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 व 3.74 में निहित निर्देशों के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा। ब्लाक उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश स्टेशन पर उपलब्ध संचार माध्यम पर अधिमानता के क्रम में भेजा जाना चाहिये।
(साधा० एवं सहायक नियम का अध्याय-14 एवं परिशिष्ट "घ " देखें)

टिप्पणी:(अ) ब्लाक यंत्र के टेलीफोन से लाइन क्लियर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की संभावना रहती है।

- (ब) दुर्घटना की स्थिति में या किसी अन्य कारण से लाइन अवरुद्ध होने पर स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि उस खण्ड को ब्लाक कर दे और कारण जानने की कोशिश करे और आवश्यकता पड़े तो इंजन से, ट्राली से या सड़क यातायात से या पैदल उस व्यवधान स्थल पर पहुंचे और दुर्घटना मैनुअल एवं साहायक एवं सहायक नियम अध्याय 6 के अनुसार कार्य करें।

- (स) बिना सिगनल के किसी गाड़ी का आगमन विद्युत चालित कांटों पर हो तो स्टेशन मास्टर का दायित्व होता है कि वह कांटों को सामान्य और विपरीत दिशा में चलाकर सही सेटिंग सुनिश्चित करें। जब स्टे.मा. यह सुनिश्चित कर लें कि कांटे का सामान्य एवं विपरीत संकेत सही मिल रहा है तभी कांटों पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। स्टेशन मास्टर द्वारा डायरी में इस जांच को रिकार्ड कर लिया जाना चाहिए।

(ii) लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खंड में प्रस्थान आदेश :

दुर्घटना अथवा लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, अवरोध के स्थान तक कार्य हेतु गाड़ियों के चलाने का अधिकार टी/ए 602 जिसमें बिना लाइन क्लियर के जाने का ब्लाक टिकट, प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पास करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी।

(सामान्य नियम 6.02 एवं 6.09 देखें।)

(iii) ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियों :

यदि कोई सवारी गाड़ी स्टेशन पर नियत आगमन समय के 10 मिनट के अन्दर और मालगाड़ी नियत आगमन समय के 20 मिनट के अन्दर न पहुँच सके तो ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टर को कारण पता करने के लिए किसी रेल सेवक को भेजना चाहिए। दोहरी लाइन पर या बगल में लाइनों के होने पर इस कार्य के लिए यदि उपलब्ध हो तो इंजन उपयोग में लाया जा सकता है।

(सामान्य नियम 6.04 देखें)

- (iv) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल के आन होने पर चूक/पासिंग :
स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

क्रमशः पृष्ठ 45 पर

- (v) एक्सिल काउन्टर ब्लाक/बी.पी.ए.सी. की खराबी :
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
- (vi) एम.टी.आर.सी. में खराबी :
स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।
- (ख) कैंक हैण्डिल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :
- (i) आपात स्थिति में मोटर संचालित कांटों को कैंक हैण्डिल से संचालन का विस्तृत विवरण स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "बी" के अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- (ii) ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कांटों का आपात संचालन या रुट रिलीज कराने हेतु सामान्य नियम 3.39 एवं 3.77 देखें।
- (ग) कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन :
सामान्य दशा में कालिंग आन सिगनल को गाड़ी के आगमन या प्रस्थान करते समय "आफ" नहीं किया जायेगा। आगमन व प्रस्थान सिगनलों के नीचे स्थित कालिंग आन सिगनलों को मेन सिगनल के खराब होने पर या ट्रैक सर्किट के विफल होने पर 'आफ' किया जा सकता है जोकि रास्ते के कांटों को सेट व लाक होना सुनिश्चित करेगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सम्बन्धित सिगनल के पीछे का कालिंग आन ट्रैक सर्किट गाड़ी द्वारा आक्यूपाई कर लिया गया है, स्टेशन मास्टर(इन्डोर) द्वारा ट्रैक सर्किट का बाधा रहित होना सुनिश्चित करके कालिंग आन सिगनल को आफ किया जायेगा।

गाड़ी का आगमन करते समय ट्रैक सर्किट के विफल होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर (इन्डोर) द्वारा स्टेशन मास्टर(आउटडोर) को सूचित किया जायेगा। स्टेशन मास्टर (आउटडोर) द्वारा उस मार्ग की सही सेटिंग एवं बाधारहित होने की व्यक्तिगत रूप से जांच की जायेगी जिस पर से गाड़ी को गुजरना है। विफल ट्रैक सर्किट के पूरे भाग का अवरोध रहित होना सुनिश्चित करके कार्यरत स्टेशन मास्टर (आउटडोर), कार्यरत स्टेशन मास्टर (इन्डोर) से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर (आउटडोर) से प्राइवेट नम्बर प्राप्त होना सुनिश्चित करके कार्यरत स्टेशन मास्टर(इन्डोर) कालिंग आन सिगनल को आफ करेगा।

गाड़ी का प्रस्थान करते समय ट्रैक सर्किट के विफल होने पर प्रस्थान सिगनल के नीचे लगे कालिंग आन सिगनल को 'आफ' करने से पूर्व स्टेशन मास्टर(इन्डोर) यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी बर्थिंग ट्रैक सर्किट पर आकर रुक गई है तथा उसके बाद स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर(आउटडोर) द्वारा अथवा स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर(आउटडोर) के उपलब्ध नहीं होने पर किसी सक्षम रेलवे कर्मचारी द्वारा फील्ड में जाकर पूरे विफल ट्रैक सर्किट भाग को व्यक्तिगत रूप से बाधारहित होना सत्यापित किया जायेगा। तत्पश्चात् विफल ट्रैक सर्किट के साफ व बाधा रहित होने तथा गाड़ी के 'कालिंग आन सिगनल पर सुरक्षित संचालन हेतु स्टेशन मास्टर(इन्डोर) को लिखित मेमो दिया जायेगा अथवा प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा। स्टेशन मास्टर(इन्डोर) इस सम्बन्ध में प्राप्त मेमो को संरक्षित कर अथवा प्राइवेट नम्बर को पंजिका में दर्ज करके सम्बन्धित कालिंग आन सिगनल को 'आफ' करेगा।

कमश: पृष्ठ 46 पर

(घ) कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पार्शन की खराबी की रिपोर्ट करना :

- (i) जब भी स्टेशन पर कांटो, ट्रैक सर्किट, एक्सल काउन्टर या कोई अन्य अन्तर्पार्शन गियर में खराबी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी जो इस खराबी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से केवल लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये ।
- (ii) खण्ड के नियंत्रक को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये ।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :-

दो स्टेशनों के बीच संचार साधनों की पूर्ण विफलता होने के दौरान अर्थात् जब निम्नलिखित साधनों में से जो कि प्राथमिकता के क्रम में दिये गये हैं जैसे :-

- (i) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर
 - (ii) ब्लाक उपकरण से सम्बन्धित टेलीफोन
 - (iii) स्टेशन से स्टेशन तक स्थिर टेलीफोन
 - (iv) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो टेलीफोन व बी.एस.एन.एल. टेलीफोन ।
 - (v) कंट्रोल टेलीफोन ।
 - (vi) वी एच एफ सेट विशेष अनुदेशों के अधीन ।
- (क) प्राथमिकता का क्रम जैसा कि ऊपर दिया गया है का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा ।
- (ख) वी०एच०एफ०सेट द्वारा लाइन क्लियर का आदान-प्रदान करते समय वी०एच०एफ०सेट के प्रयोग हेतु विशेष अनुदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है ।

उपरोक्त किसी के भी द्वारा 'आगमन अनुमति' प्राप्त न हो सके, तो गाड़ियों को पास करने के लिये अधोलिखित क्रियाविधि अपनायी जायेगी :-

9.1.1 इकहरी लाइन खण्ड में संचार साधनों की विफलता की स्थिति में

ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन को गाड़ियों को भेजने हेतु स्टेशन मास्टर लाइट इंजन/ट्रेन इंजन/मोटर ट्राली/ट्राली साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली के चलाने के पहले संचार साधन चालू करने के लिये भेजे जाने वाले चालक/गार्ड/स्टेशन मास्टर को निर्धारित फार्म टी/बी 602 पर सम्पूर्ण संचार साधन विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार को सुपुर्द करेगा जिसमें निम्न समावेशित होगा :-

- (अ) बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार ।
- (ब) सतर्कता आदेश, जिसमें वह गति विनिर्दिष्ट की गयी हो जिस पर प्रभावित ब्लाक सेक्शन से इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता हो ।
- (स) अन्तिम रोक सिगनल, यदि स्टेशन पर कोई रोक सिगनल हो, को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार ।
- (द) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लियर इन्क्वायरी संदेश, जिसमें उसके स्टेशन के लिए भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के लिए लाइन क्लियर के लिए कहा जाय ।
- (य) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम एक सशर्त लाइन क्लियर संदेश जिसमें निम्नलिखित के लिए अनुमति दी गयी हो :-

क्रमशः पृष्ठ 47 पर

- (i) खाली इंजन/गाड़ी इंजन खाली अथवा उसके स्टेशन से भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के साथ जोड़कर अथवा किसी अन्य इंजन के साथ जुड़कर वापस आने के लिए , **अथवा**
- (ii) टावर वैगन/डीजलकार/रेल मोटर कार/स्वचालित बिजली गाड़ी रैक के वापस आने के लिए, **अथवा**
- (iii) मोटर ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली यानी अकेले चलकर उसके स्टेशन से चलने की प्रतीक्षा में किसी गाड़ी में लदकर वापस आने के लिए ।

नोट: सामान्य एवं सहायक नियम की परिशिष्ट "ख" भाग-।। देखें ।

9.1.2 दोहरी लाइन खण्ड पर :

- (अ) ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन में किसी भी गाड़ी को अगले ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जायेगा तथा गार्ड और ड्राइवर को स्टेशन मास्टर द्वारा परिस्थितियों से अवगत कराया जायेगा ।
- (ब) स्टेशन मास्टर प्रत्येक गाड़ी के ड्राइवर को निर्धारित फार्म टी/सी 602 पर डबल लाइन खंड पर संचार साधनों की विफलता की दशा में कार्य करने हेतु एक प्राधिकार देगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :
 - (i) बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार ।
 - (ii) सीधी लाइन पर 25 कि०मी० प्रति घंटे के प्रतिबन्ध तथा जहाँ गोलाई, रुकावट, वर्षा, कुहरे या किसी अन्य कारण से लाइन के आगे का भाग स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़े तो उस भाग, पर पहुँचते हुए या उस पर गुजरते हुए 10 कि०मी० प्रति घंटे के प्रतिबन्ध का सतर्कता आदेश ।
 - (iii) अन्तिम रोक (स्टॉप) सिगनल, को आन स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार ।

(विस्तृत निर्देशों हेतु सामान्य एवं साधारण नियम परिशिष्ट "ख" का भाग-। देखें)

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति :

9.2.1 संचार साधनों के पूर्णतया अवरुद्ध हो जाने के दौरान इकहरी लाइन प्रणाली से कार्य करना :

सामान्य एवं सहायक नियम का परिशिष्ट "ख" भाग-III में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

9.2.2 दोहरी लाइन खण्ड में एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर इकहरी लाइन कार्य चालन के नियम :

जब कभी किसी गाड़ी या रेलपथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी दूसरी रुकावट के कारण दोहरी लाइन के किसी एक लाइन का उपयोग नहीं हो पाता है तो यातायात का परिवहन अस्थायी तौर पर सामान्य एवं सहायक नियम परिशिष्ट "ख" भाग-IV के अनुसार किया जायेगा ।

9.3 बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त/क्रिपिल्ड गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ी का प्रस्थान :

सामान्य एवं सहायक नियम 6.02 के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

कमशः पृष्ठ 48 पर

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

क. खैराबाद(अवध) छोर : प्लेटफार्म के निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में डाउन स्टार्टर सिगनल सं० एस-28 की बत्ती ।

ख. सीतापुर सिटी/हरगौंव छोर : प्लेटफार्म के निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में अप स्टार्टर सिगनल सं० एस-31 की बत्ती ।

नोट:- इस स्टेशन पर तप्पा खजुरिया छोर पर डबल डिस्टेन्ट सिगनल का प्रावधान होने के कारण लोको पाइलट को स्टाप सिगनल की स्थिति बताने के लिए फाग सिगनल लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(विशेषकर सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 देखें)

11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

स्टेशन संचालन नियम परिशिष्ट 'ई' देखें।

12. कोहरा होने पर बुलाये जाने वाले नामित फाग सिगनल मैन :

(i) कोहरे, आंधी या धुंध के मौसम में जब दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि सिगनल जल रहे हैं इसके बाद एक एक प्रशिक्षित व्यक्ति को दोनों दिशाओं में पटाखे लगाने के लिए कोहासा सिगनल खम्भों के पास भेजेगा। यह खम्भे इस स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे अर्थात् बाहर की ओर गड़े हैं। स्टेशन पर फाग सिगनल मैनों का नाम, फाग सिगनल रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा नामांकित फाग सिगनल मैनों को ही धुन्ध या कोहरे के मौसम में इस्तेमाल किया जायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जैसे ही कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, वह तुरन्त स्टेशन के दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो ड्यूटी पर न हो बुलायेगा अन्यथा प्रखंड का रेल पथ निरीक्षक से दो प्रशिक्षित गैंगमैनों को फाग सिगनल मैन की जगह प्रतिनियुक्त करने का आग्रह करेगा। फाग सिगनल मैन रेलवे के स्थायी कर्मचारी होना चाहिए न कि एवजी कर्मचारी ।

(ii) स्टेशन में निर्धारित प्रपत्र पर स्टेशन पटाखा रजिस्टर रखना आवश्यक है । जिसमें कार्यरत फाग सिगनल मैन का नाम, कार्य की अवधि, पटाखों का स्टाक प्रत्येक फाग सिगनल वाले के साथ कितने पटाखें भेजे गये, प्रत्येक गाड़ी की संख्या जिसके नीचे पटाखे प्रयोग किये गये, बचे हुए पटाखों की संख्या और प्रयोग किये गये पटाखों के खोल (साथ ही जो पटाखें न फटे हो) कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाग सिगनल मैन द्वारा वापस किये गये का ब्योरा देना होगा ।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्टेशन पटाखा रजिस्टर में सभी लोगों के जो पटाखा फाग सिगनल मैन और या उनकी जगह इस स्टेशन पर फाग सिगनल मैन प्रतिनियुक्त किये गये हो के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना आवश्यक है। जिससे ज्ञात होगा कि वे गाड़ी के लिए फाग सिगनल लगाने के नियमों को समझते हैं ।

(दृश्यता परीक्षण स्थल, पटाखा लगाने का स्थान, स्टेशन पटाखा रजिस्टर एवं फाग सिगनल मैन हेतु विस्तृत निर्देशों हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 एवं परिशिष्ट "क" देखें)

कमश: पृष्ठ 49 पर

परिशिष्ट की सूची :

- 1 परिशिष्ट 'ए' समपार फाटकों की कार्यप्रणाली ।
- 2 परिशिष्ट 'बी' सिगनलिंग एवं अन्तर्प्राशन की प्रणाली तथा स्टेशन पर संचार व्यवस्था ।
 अनुलग्नक-I मोटर प्वाइंट मशीन का क्रेक हैण्डिल द्वारा संचालन ।
 अनुलग्नक-II कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था ।
 अनुलग्नक-III इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) की कार्य विधि ।
 अनुलग्नक-IV दोहरी लाइन बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) की कार्य विधि ।
 अनुलग्नक-V विजुअल डिस्प्ले यूनिट (V.D.U.) का पी.सी. द्वारा संचालन की कार्य विधि ।
 अनुलग्नक-VI ब्लाक प्रूविंग बाई डिजिटल एक्सल काउन्टर की कार्यविधि ।
- 3 परिशिष्ट 'सी' टक्कर रोधी उपकरण ।
- 4 परिशिष्ट 'डी' कर्मचारियों के कर्तव्य ।
- 5 परिशिष्ट 'ई.' स्टेशन पर आवश्यक उपकरण ।
- 6 परिशिष्ट 'एफ' डी.के.स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम ।
- 7 परिशिष्ट 'जी' विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम ।

नोट : क. इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके अथवा सुधार करके न पढ़ा जाये ।

ख. उर्पयुक्त अनुच्छेद में कुछ साधारण एवं सहायक नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नियम सम्पूर्ण नहीं है सभी अन्य साधारण और सहायक नियमों पर अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये ।

परिशिष्ट 'ए'

भाग - 1

**सीतापुर जं० –खैराबाद(अवध) स्टेशनो के मध्य स्थित "विशेष" श्रेणी के
इन्जी० समपार फाटक सं० 72 के संचालन हेतु अनुदेश**

टिप्पणी:- इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस स्टेशन का नियम आरेख सं० उपमुसिदूङ/नि०/ल.जं.
/2022 (आर.डी.)/19 दिनांक 04.10.22 मय संशोधन 'ए' दिनांक 14.11.22 देखें।

1. **विवरण**1.1 **सामान्य :-**

1	समपार फाटक सं०	72 "विशेष"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इन्जीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	सी०से०इन्जी०/पी०वे०/सीतापुर जं०
4	किलोमीटर पर स्थित	86/0-1
5	स्टेशन पर	सीतापुर जं०
6	स्टेशनो के मध्य	सीतापुर जं०- खैराबाद (अवध)
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनलों से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा- गेट सिगनल	86/2-3
	डाउन दिशा- गेट सिगनल	85/8-9
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	एस.एच.
17	सड़क का नाम	बिसवों रोड
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	9.00 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	65°
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	1 : 30
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क की सीधआई (सीधा/गोलाई)	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	सीधा
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	12.50 मीटर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	12.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	124650 जुलाई/22
32	अगली गणना की तिथि	जुलाई/25
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	तीन
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	सीतापुर जं०
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	सीतापुर जं०
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध है

1.2 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर पलैंग लाल	03
5	लाल बैनर पलैंग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पैन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्चा	01
11	दुरमुट	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

1. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
2. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
3. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
4. ड्यूटी रोस्टर।
5. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
6. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
7. दुर्घटना रजिस्टर।
8. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
9. निरीक्षण व आश्वासन पुस्तिका।
10. जन परिवाद पुस्तिका।
11. संकेत एवं दूर संचार पंन्जिका

1.4 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

मंसिदूङ/निर्माण
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंसिदूङ
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा०
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

(ए) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2 } कुल दो लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डिल की व्यवस्था है।

(अ) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) पहले आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर बूम को { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० 4 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 4 को "आर" पोजीशन में या डाउन गेट सिगनल सं० 3 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 3 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(ब) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि दोनों बूम {बी1 व बी2} आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।
- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० 4 को आफ

करने के लिये सिगनल स्विच सं० 4 को "आर" पोजीशन में या डाउन गेट सिगनल सं० 3 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 3 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डीकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डीकेशन मिल जायेगा।

(स) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (i) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के विफल होने की दशा में **सी.एच.जी.** क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतः के.एल.सी.आर. में लाकड रहता है। **सी.एच.जी.** नियन्त्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर के.एल.सी.आर. पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इण्डीकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर **सी.एच.जी.** क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा।
- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिये ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नॉच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रैन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नॉच" दिखाई पड़ता है। "नॉच" में बूम लाक क्रैन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी **सी.एच.जी.** को वापस के.एल.सी.आर. में लगा देगा और **सी.एच.जी.** स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० 4 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 4 को "आर" पोजीशन में या डाउन गेट सिगनल सं० 3 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 3 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डीकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात् क्रैन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(द) सी.एच.जी. के.एल.सी.आर. नियन्त्रण स्विच :-

समपार के सी.एच.जी. के.एल.सी.आर. नियन्त्रण के लिये एक स्विच गेट लाज पर लगाया गया है। इस स्विच की दो स्थितियाँ लाक एवं रिलीज हैं।

सी.एच.जी. नियन्त्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर के.एल.सी.आर. पर रिलीज का लाल प्रकाश जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इण्डिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर सी.एच.जी. कैंक हैण्डिल को निकालेगा।

(य) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-(क) समपार बन्द करने हेतु:-

- जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी3-बी4 वेल्ड है। 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी3-बी4 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी एल1 एवं एल2 रिलीज हो जायेगी।
- स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एल1 एवं एल2 को गेटलाज में लगे 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एल' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डिकेशन प्राप्त हो जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये है इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० 4 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 4 को "आर" पोजीशन में अथवा डाउन गेट सिगनल सं० 3 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 3 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'एल' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'एल' 3वें लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एल1 एवं एल2 मुक्त होगी। 3वें लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एल1 एवं एल2 को 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी3 एवं बी4 को रिलीज करेगा इसके बाद गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(बी) गेटमैन को सूचना :-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर, डाउन गाड़ियों को लाइन क्लीयर देने से पहले या अप गाड़ियों को प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करके लाक करने के लिए कार्यरत गेटमैन को निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या	समपार को बन्द	गेट से गाड़ी पास	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय	समपार से सम्पूर्ण	स्टेशन मास्टर
------	--------------	---------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------

	विवरण	करने हेतु सूचना का समय	होने का सम्भावित समय	कर सिगनल आफ करने का समय	प्रा.नं० का आदान प्रदान		गाड़ी पास होने का समय	/ गेटमैन का हस्ताक्षर
					गेटमैन का प्रा.नं.	स्टेमा का प्रा.नं.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा। वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(सी) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- आने वाली गाड़ी के केस में स्टे.मा. भेजने वाले स्टे. मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(डी) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ई) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की बंद स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर गेट की चाभी के.एल. सी.आर. इत्यादि से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के०एल०सी०आर० की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(एफ) 'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट की चाभी' का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत गेटमैन तुरन्त स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, गेट सिगनल लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(जी) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को 'आफ' नहीं करेगा :-
(अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके या
(ब) यदि गेट की चाभी के 0एल0सी0आर0 'से न निकाली जा सके
- (ii) यदि गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब एस.एण्ड.टी कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद संयोजन मेमो दे दे।

(एच) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।

- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उस समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(आई) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेपटी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा झाँवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।

- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
 - (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंगमेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
 - (viii) गेट सिगनल लीवर चामी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
 - (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
 - (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं 'बैज' धारण करेगा।
 - (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
 - (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
 - (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
 - (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
 - (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनो तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
 - (xvi) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
 - (xvii) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
 - (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-
- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
 - (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
 - (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
 - (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
 - (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनो हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनो हाथों को अलग करके पुनः दोनो हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
 - (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।
- (5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-
- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनो तरफ दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।

- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

(अ) इकहरी लाइन खण्ड पर

- (i) गेटमैन दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब **600 मीटर** पर एक पटाखा लगा देगा। उसके पश्चात् वह समपार से **1200 मीटर** की दूरी पर तीन पटाखे **10-10 मीटर** की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में **600 मीटर** पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम तथा गेटमैन, स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर **60** सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्विच नार्मल करने के **60** सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधों पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:—
 - 1. गेट को तुरन्त बंद करें।
 - 2. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे—
 - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिंगारियों का निकलना।
 - (ग) इंजन के पेंटों में खराबी।
 - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
 - 3. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
 - 4. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-प्लैग एवं पटाखें लगायें।
 - 5. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट 'ए'

भाग - 2

**सीतापुर जं० –हरगांव स्टेशनो के मध्य स्थित “विशेष” श्रेणी के इन्जी०
समपार फाटक सं० 75 के संचालन हेतु अनुदेश**

टिप्पणी:- इन अनुदेशों को पढ़ते समय इस स्टेशन का नियम आरेख सं० उपमुसिदूङ/नि०/ल.जं.
/ 2022 (आर.डी.)/ 19 दिनांक 04.10.22 मय संशोधन 'ए' दिनांक 14.11.22 देखें।

1. **विवरण**1.3 **सामान्य :-**

1	समपार फाटक सं०	75“विशेष”
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इन्जीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	सीसेइ/रेलपथ/ सीतापुर जं०
4	किलोमीटर पर स्थित	89/5-6
5	स्टेशन पर	सीतापुर जं०
6	स्टेशनो के मध्य	सीतापुर जं०-हरगांव
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनलों से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा- गेट सिगनल	89/3-4
	डाउन दिशा- गेट सिगनल	89/7-8
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	एस०एच०
17	सड़क का नाम	लखीमपुर रोड
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	7.00 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	133°
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	1 : 30
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क की सीधाय (सीधा/गोलाई)	—
	पूर्व/उत्तर की तरफ	सीधा
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	14.31 मीटर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	20.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध है
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0वी0यू0	51198 सितम्बर 2019
32	अगली गणना की तिथि	सितम्बर/2022
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	3
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	सीतापुर जं०
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	सीतापुर जं०
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध है

1.4 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पैन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्टा	01
11	दुरमुट	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

12. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
13. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
14. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
15. ड्यूटी रोस्टर।
16. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
17. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
18. दुर्घटना रजिस्टर।
19. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
20. निरीक्षण व आश्वासन पुस्तिका।
21. जन परिवाद पुस्तिका।
22. संकेत एवं दूर संचार पंन्जिका

1.5

समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-**(क) संचालन पद्धति :-**

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है।

पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2 } कुल दो लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डिकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है।

पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डिल की व्यवस्था है।

(ए) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:**(क) समपार फाटक को बंद करना :**

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) पहले आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर बूम को { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डिकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० 8 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 8 को "आर" पोजीशन में या डाउन गेट सिगनल सं० 7 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 7 को "आर" पोजीशन में घुमाते है।

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डिकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डिकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डिकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:**(क) बन्द करने हेतु :-**

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि दोनों बूम {बी1 व बी2} आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।
- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डिकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० 8 को आफ

करने के लिये सिगनल स्विच सं० 8 को "आर" पोजीशन में या डाउन गेट सिगनल सं० 7 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 7 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

(सी) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (i) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के विफल होने की दशा में **सी.एच.जी.** क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतः के.एल.सी.आर. में लाकड रहता है। **सी.एच.जी.** नियन्त्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर के.एल.सी.आर. पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इण्डिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर **सी.एच.जी.** क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा।
- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिये ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नॉच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रैन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नॉच" दिखाई पड़ता है। "नॉच" में बूम लाक क्रैन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी **सी.एच.जी.** को वापस के.एल.सी.आर. में लगा देगा और **सी.एच.जी.** स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् **अप** गेट सिगनल सं० 8 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 8 को "आर" पोजीशन में या **डाउन** गेट सिगनल सं० 7 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 7 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को आन करने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमायेगा। सम्बन्धित सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने के बाद गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम

लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात कैंक हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा।

(डी) सी.एच.जी. के.एल.सी.आर. नियन्त्रण स्विच :-

समपार के सी.एच.जी. के.एल.सी.आर. नियन्त्रण के लिये एक स्विच गेट लाज पर लगाया गया है। इस स्विच की दो स्थितियाँ लाक एवं रिलीज हैं।

सी.एच.जी. नियन्त्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर के.एल.सी.आर. पर रिलीज का लाल प्रकाश जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इण्डिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर सी.एच.जी. कैंक हैण्डिल को निकालेगा।

(ई) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(क) समपार बन्द करने हेतु:-

- जब समपार फाटक को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले स्टेशन मास्टर/ गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी7-बी8 वेल्ड है। 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी7-बी8 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेगा तथा क्रमशः चाभी एस1 एवं एस2 रिलीज हो जायेगी।
- स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी एस1 एवं एस2 को गेटलाज में लगे 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एस' रिलीज होगी तथा कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डीकेशन प्राप्त हो जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये है इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० 8 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 8 को "आर" पोजीशन में अथवा डाउन गेट सिगनल सं० 7 को आफ करने के लिये सिगनल स्विच सं० 7 को "आर" पोजीशन में घुमाते हैं।

(ख) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'एस' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'एस' 3वें लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी एस1 एवं एस2 मुक्त होगी। 3वें लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी एस1 एवं एस2 को 2वें लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी7 एवं बी8 को रिलीज करेगा इसके बाद गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(बी) गेटमैन को सूचना :-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर, अप गाड़ियों को लाइन क्लीयर देने से पहले या डाउन गाड़ियों को प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करके लाक करने के लिए कार्यरत गेटमैन को निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि I	गाड़ी संख्या व विवरण	समपार को बन्द करने हेतु सूचना का समय	गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद कर सिगनल आफ करने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान	गेटमैन का प्रा.नं.	स्टेमा का प्रा.नं.	समपार से सम्पूर्ण गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर / गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा। वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(सी) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- आने वाली गाड़ी के केस में स्टे.मा. भेजने वाले स्टे. मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(डी) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग / स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ई) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की बंद स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर गेट की चाभी के.एल. सी.आर. इत्यादि से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के०एल०सी०आर० की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(एफ) 'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट की चाभी का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत गेटमैन तुरन्त स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, गेट सिगनल लीवर की मरम्मत करते हैं, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(जी) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को 'आफ' नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके या
 - (ब) यदि गेट की चाभी के 0एल0सी0आर0 'से न निकाली जा सके
- (ii) यदि गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद संयोजन मेमो दे दे।

(एच) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।

- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उस समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(आई) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर

आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंगमेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल लीवर चामी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।
- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं "बैज" धारण करेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
- (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
- (xvi) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvii) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन "रोक हैण्ड सिगनल" (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।

- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में रखेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) **गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-**

(अ) **इकहरी लाइन खण्ड पर**

- (i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब **600 मीटर** पर एक पटाखा लगा देगा। उसके पश्चात् वह समपार से **1200 मीटर** की दूरी पर तीन पटाखे **10-10** मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में **600 मीटर** पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त आने वाली ट्रेन को गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) **गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-**

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे - वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम तथा गेटमैन, स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

- (iii) संरक्षा बढ़ाने हेतु इस गेट पर 60 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है। अतः गाड़ी पास होने के बाद या किसी आपात स्थिति में बन्द गेट को खोलने हेतु सिगनल स्विच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा। इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन स्टे.मा. अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

7

25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधों पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ाये।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
 3. गेट को तुरन्त बंद करें।
 4. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
 - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 - (ग) इंजन के पेटो में खराबी।
 - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
6. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
7. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।

दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनो लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनो तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट 'ए'

भाग - 3

सीतापुर जं० -तप्पा खजुरिया स्टेशनो के मध्य स्थित "विशेष" श्रेणी के इन्जी० समपार फाटक सं० 89 के संचालन हेतु अनुदेश

टिप्पणी:-इन अनुदेशों को पढ़ते समय समपार का नियम आरेख सं० उपमुसिदूँ/नि०/ल.जं./2022 (आर.डी.)/17 दिनांक 04.10.22 मय संशोधन 'ए' दिनांक 14.11.22 देखें।

1. विवरण1.5 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	89 "विशेष"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	इंजीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	सी०से०इन्जी०/पी०वे०/बिस्वी
4	किलोमीटर पर स्थित	93/4-5
5	स्टेशन पर	सीतापुर जं०
6	स्टेशनो के मध्य	सीतापुर जं०-तप्पा खजुरिया
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	दोहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनलो से अन्तर्पाशित
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	है
	अप दिशा- गेट सिगनल	93/2-3
	डाउन दिशा- गेट सिगनल	93/6-7
13	संकेतन व्यवस्था	बहुसंकेतीय कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	सीतापुर-लहरपुर मार्ग
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	9.50 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	90°
	पूर्व/उत्तर की तरफ	-
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	-
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	समतल
	पूर्व/उत्तर की तरफ	-
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	-
23	सड़क की सीधार्ई (सीधा/गोलाई)	सीधा
	पूर्व/उत्तर की तरफ	-
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	-
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	11.00 मीटर

कमशः पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	उपलब्ध
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	178303 दिसम्बर 2019
32	अगली गणना की तिथि	दिसम्बर 2022
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	3
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	सीतापुर जं०
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	सीतापुर जं०
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नहीं	उपलब्ध है

1.6 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/पलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)

मंसिदूङ/निर्माण
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंसिदूङ
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा०
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोर्टार पैन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्टा	01
11	दुरमुट	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स :	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिट्टी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन :	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये :	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम :	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

कमशः पृष्ठ 3 पर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

23. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
24. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
25. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
26. ड्यूटी रोस्टर।
27. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
28. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
29. दुर्घटना रजिस्टर।
30. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
31. निरीक्षण एवं आश्वासन पुस्तिका।
32. जन परिवाद पुस्तिका।
33. संकेत एवं दूर संचार पंन्जिका

1.4 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(ए) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला बैरियर तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है। पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम को बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 तथा बी-2 } कुल दो लाल रंग का बूम लाक प्रूविंग इन्डिकेशन है। इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है। पुशबटन एवं हैण्ड

जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक क्रैन्क हैण्डिल की व्यवस्था है।

(अ) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:

(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर दोनों बूम को { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हुटर बजने लगेगा और बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़े।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा में मूवमेन्ट हेतु डाउन गेट सिगनल सं० (1) को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं।

कमश: पृष्ठ 4 पर

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को "आन" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (2) को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० (1) को "आन" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (1) को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री सफेद इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद दोनों बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाएं जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(बी) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:

(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्वप्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जब तक कि दोनों बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये।
- (iv) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिलने पर अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (2) को

‘आर’ पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा में मूवमेन्ट हेतु डाउन गेट सिगनल सं० (1) को “आफ” करने के लिये सिगनल स्विच सं० (1) को ‘आर’ पोजीशन में घुमाते हैं ।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन अप गेट सिगनल सं० (2) को “आन” करने के लिये सिगनल स्विच सं० (2) को ‘नार्मल’ पोजीशन में घुमायेगा तथा डाउन गेट सिगनल सं० (1) को “आन” करने के लिये सिगनल स्विच सं० (1) को ‘नार्मल’ पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा ।

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को “आन” स्थिति में रखे।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल दशा में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रैन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

कमशः पृष्ठ 5 पर

(सी) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालनः

- (i) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर की विफल होने की दशा में ‘सी.एच.जी.’ क्रैन्क हैण्डिल का प्रयोग किया जायेगा जो सामान्यतया ‘केएलसीआर’ में लाकड रहता है। ‘सीएचजी’ नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडीकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर ‘सीएचजी’ क्रैन्क हैण्डिल को निकालेगा ।
- (ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए “नॉच” दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। बैरियर को क्रैन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में “नॉच” दिखाई पड़ता है। “नॉच” में बूम लाक क्रैन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनों बूम लाक पर की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी “सी. एच.जी.” को वापस केएलसीआर में लगा देगा और सीएचजी स्विच को लाक स्थिति में कर देगा और सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा।
- (iii) दोनों बैरियरों के बन्द होने के पश्चात् अप गेट सिगनल सं० (2) को “आफ” करने के लिये सिगनल स्विच सं० (2) को ‘आर’ पोजीशन में घुमाते हैं तथा

डाउन दिशा में मूवमेन्ट हेतु डाउन गेट सिगनल सं० (1) को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं ।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन सम्बन्धित सिगनल स्विचों को 'नार्मल' पोजीशन में घुमायेगा। सिगनल स्विच को नार्मल पोजीशन में घुमाने पर गेट लाज पर लगे आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा। तत्पश्चात् क्रैन्क हैंडिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा ।

(डी) सीएचजी केएलसीआर नियंत्रण स्विच:

गेट पर सीएचजी क्रैन्क हैंडिल के नियंत्रण के लिए एक स्विच गेटलाज पर लगाया गया है। इस स्विच की दो स्थितियां लाक एवं रिलीज है। सीएचजी नियंत्रण स्विच को रिलीज स्थिति में करने पर केएलसीआर पर रिलीज का (लाल प्रकाश) जलने लगता है। तब कार्यरत गेटमैन लाल इंडिकेशन के पास लगे पुश बटन को दबाकर 'सीएचजी' क्रैन्क हैंडिल को निकालेगा ।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

(ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(अ) समपार बन्द करने हेतु:-

- जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा ।
- स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा ।
- स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ क्रमशः चाभी बी1-बी2 वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी बी1-बी2 को लगाकर घुमाने से स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी के1 एवं के2 रिलीज हो जायेगी।
- स्लाइडिंग बूमों को पूरी तरह से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के उपरान्त 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी के1 एवं के2 को गेटलाज में लगे 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'के' रिलीज होगी तथा गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के.एल.सी.आर में लगाकर घुमायेगा, जिससे गेटमैन के आपरेटिंग पैनल पर स्लाइडिंग बूम बैरियर के बन्द होने के बाद लाक होने का इन्डिकेशन प्राप्त हो जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि स्लाइडिंग बूम बैरियर लाक हो गये हैं इसके पश्चात् अप गेट सिगनल सं० (2) को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (2) को 'आर' पोजीशन में घुमाते हैं तथा डाउन दिशा में मूवमेन्ट हेतु डाउन गेट सिगनल सं० (1) को "आफ" करने के लिये सिगनल स्विच सं० (1) को 'आर' पोजीशन में घुमायेगा।

(ब) समपार खोलने हेतु :-

गाड़ी के पूरी गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलने के लिये सिगनल स्विच को नार्मल करेगा इसके उपरान्त गेटमैन चाभी 'के' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप

बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'के' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी के1 एवं के2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी के1 एवं के2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी बी1 एवं बी2 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

(बी) गेटमैन को सूचना :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर अप गाड़ियों को लाइन क्लियर देने से पहले तथा डाउन गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को समपार बन्द व लाक करने हेतु निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	समपार को बन्द करने हेतु सूचना देने का समय	गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके सिगनल आफ करने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान	गेटमैन का प्रा.नं.	स्टे.मा. का प्रा.नं.	समपार से गाड़ी के सम्पूर्ण पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) गेटमैन का यह दायित्व है कि कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने पर अत्यन्त सतर्क हो जायेगा और समय से समपार फाटक बन्द करके लाक करेगा जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो तथा सड़क यातायात अधिक समय तक विलम्बित न हो।

(सी) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगा :-

- (i) समपार का टेलीफोन जो गाड़ी भेजने वाले स्टेशन से सम्बद्ध है, के खराब हो जाने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (ii). स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सूचित करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (iii) यदि गेट सिगनल 'आन' स्थिति में है, तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- (iv) आने वाली गाड़ी के केस में स्टे.मा. भेजने वाले स्टे. मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।

कमशः पृष्ठ 8 पर

- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने के सूचना देगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके फिट मेमो देगा।

(डी) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ई) 'गेट की चाभी' का गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी' खोलने के लिये न निकाली जा सके :-

- (i) यदि गेट की बंद स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर गेट की चाभी के.एल. सी.आर. इत्यादि से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के०एल०सी०आर० की मरम्मत करते है को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vi) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(एफ) 'गेट चाभी' का गेट के खुली दशा में विफल हो जाना :-

- (i) गेट की चाभी' का गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना जब 'गेट की चाभी ' बन्द करने के लिये न निकाली जा सके। इस परिस्थिति में कार्यरत गेटमैन तुरन्त स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान की प्रक्रिया नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार करेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा उसके बाद वह गाड़ी को हाथ संकेत पर पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गाड़ियों को ब्लाक खण्ड में प्रवेश कराने के पूर्व 'गेट खुली दशा में खराब है' के लिये सतर्कता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, गेट सिगनल लीवर की मरम्मत करते है, को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(जी) गेट सिगनल की विफलता :-

- (i) कार्यरत गेटमैन गेट सिगनल को निम्नलिखित परिस्थितियों में खराब मानेगा तथा गेट सिगनल को 'आफ' नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट को बन्द किये हुये 'आफ' किया जा सके या
 - (ब) यदि गेट की चाभी के०एल०सी०आर० 'से न निकाली जा सके
- (ii) यदि गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन को इसे 'आन' स्थिति में लाने का प्रयास किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट सिगनल के विफल हो जाने के बारे में अविलम्ब कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा।
- (iv) इसके पश्चात् गेट को नान-इण्टरलाक मानकर नान-इण्टरलाक गेटो के लिये निर्धारित पद्धति के अनुसार आगमन/प्रस्थान किया जायेगा।
- (v) कार्यरत गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी एवं रात्रि में हरी बत्ती गेट को बन्द व लाक करने के बाद गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी को भेजने के पूर्व प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार के कर्मचारियों को जो गेट सिगनल के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, यथाशीघ्र ठीक करने के लिये सूचित करेगा।
- (ix) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी विफल गेट सिगनलों को ठीक करने के बाद संयोजन मेमो दे दे।

(एच) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा।
- (ii) समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये पोस्ट पर दिन में लाल बैनर पलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (iii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। तत्पश्चात् गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।
- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- (x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेट सिगनल को 'आन' स्थिति में गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।

कमश : पृष्ठ 11 पर

- (xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उस समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(आई) समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ पर पेड़ गिरने से अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई गाड़ी का अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा स्टेशन मास्टर समपार फाटक पर अवरोध में वर्णित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जबतक कि रेलपथ से बाधा हटा नहीं दिया जाये।

1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-**(1) सावधानी :-**

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बाँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

कमश : पृष्ठ 12 पर

- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
- (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
- (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (viii) गेट सिगनल लीवर चाभी खराब हो जाने की दशा में गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की दशा में रखेगा।

- (ix) समपार फाटक के गेट सिगनल खराब हो जाने की दशा में गेटमैन ट्रेन देखकर बैरियर को बन्द कर ताला लगा देगा और हाथ सिगनल देगा या ट्रेन को खराब सिगनल तक पायलट करेगा। ऐसी स्थिति में वह गाड़ी के चालक द्वारा खराबी की सूचना अगले स्टेशन पर भेजेगा।
- (x) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं “बैज” धारण करेगा।
- (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण—पत्र उपलब्ध है।
- (xii) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiv) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
- (xvi) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
- (xvii) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये “हाइट लोडिंग गेज” के नीचे से गुजरे।
- (xviii) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-

- (i) वह तत्काल ही झाइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

कमश : पृष्ठ 13 पर

- (ii) साथ ही साथ झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि झाइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन “रोक हैण्ड सिगनल” (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा तथा गेट सिगनल को ‘आन’ स्थिति में रखेगा।

- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

(अ) दोहरी लाइन पर :-

- (i) यदि दोनो लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
- (ii) तदुपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

कमश : पृष्ठ 14 पर

- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे-वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) गेट को रिलीज करने के लिए 60 सेकेण्ड का डेड एप्रोच लाकिंग का प्रावधान किया गया है, अतः सिगनल स्विच नार्मल करने के 60 सेकेण्ड के उपरान्त ही गेट को खोला जा सकेगा।

इसके खराब होने पर कार्यरत गेटमैन स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

7 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधे पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ायें।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
 5. गेट को तुरन्त बंद करें।
 6. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
 - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्मारियों का निकलना।

कमश : पृष्ठ 15 पर

- (ग) इंजन के पेंटों में खराबी।
- (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
- (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
- (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
8. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
9. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
10. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट 'ए'

भाग — 4

सीतापुर जं० स्टेशन पर स्थित 'विशेष' श्रेणी का ट्राफिक समपार फाटक सं० 93 के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण1.7 सामान्य :-

1	समपार फाटक सं०	93 "विशेष"
2	इंजीनियरिंग/यातायात फाटक	यातायात
3	किसके अधीन स्टेशन अधी०/रेलपथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक/सीतापुर जं०
4	किलोमीटर पर स्थित	98/3-4
5	स्टेशन पर	सीतापुर जं०
6	स्टेशनों के मध्य	सीतापुर जं०
7	बी०जी०/एम०जी०/एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी लाइन/दोहरी/मिश्रित लाइन	दोहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाकड/नान-इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	स्टेशन के सिगनलो से अन्तर्पाशित है
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि०मी०	—
	अप दिशा—	—
	डाउन दिशा—	—
13	संकेतन व्यवस्था	कलर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन/घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन०एच०/एस०एच०/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	सीतापुर-लखीमपुर मार्ग
18	पक्का/कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उपलब्ध
20	सड़क की चौड़ाई	9.00 मीटर
21	सड़क की कासिंग कोण (इस्व्यू गेट के लिये)	90°
	पूर्व/उत्तर की तरफ	—
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	समतल
	पूर्व/उत्तर की तरफ	—
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
23	सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)	सीधा
	पूर्व/उत्तर की तरफ	—
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	—
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलों की लम्बाई	11.00 मीटर

7	समपार के मध्य सड़क की सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	12 मी०
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी०वी०यू०	661400 अगस्त 2022
32	अगली गणना की तिथि	अगस्त / 2025
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	तीन
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	सीतापुर जं०
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	सीतापुर जं०
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नहीं	उपलब्ध है

1.8 उपकरण :-

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च/फलैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	02
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	टामी बार	01
9	मोटर पैन (तसला)	01
10	फावड़ा/बेल्टा	01
11	दुरमुट	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
12	पिक एक्स	01(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नहीं)
13	टिन केस झण्डी के लिये	01
14	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
15	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
16	टिन केस मस्टर शीट के लिये	01
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
19	टोकरी	01
20	सीटी	01
21	दीवार घड़ी	01
22	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

1.9 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :-

34. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
35. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
36. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
37. ड्यूटी रोस्टर।
38. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण-पत्र।
39. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
40. दुर्घटना रजिस्टर।
41. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
42. निरीक्षण पुस्तिका।
43. जन परिवाद पुस्तिका।

1.10 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :-

(क) संचालन पद्धति :-

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, की व्यवस्था है। समपार फाटक पर प्रवेश रोकने वाला तथा निकासी रोकने वाला बैरियर { बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2 } है। पुश बटन या हैण्ड जनरेटर से **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिये गेट लाज में एक आपरेटिंग पैनल की व्यवस्था है। पैनल पर गेट से सम्बन्धित बूम को बन्द करने के लिए क्लोज बटन एवं खोलने के लिए ओपेन बटन का प्रावधान है। पैनल से सम्बन्धित दोनों बूम के बन्द एवं लाक सुनिश्चित करने के लिये आपरेटिंग पैनल पर दो { बैरियर सं० बी-1 बी-2 } कुल दो लाल रंग का **बूम लाक प्रूविंग इन्डीकेशन** है। **इलेक्ट्रिक** लिफ्टिंग बैरियरों को पुश बटन, हैण्ड जनरेटर या मैकेनिकल रूप से संचालित किया जा सकता है। पुशबटन एवं हैण्ड जनरेटर से संचालन विफल होने की दशा में मैकेनिकल संचालन के समय बारी-बारी से प्रत्येक बैरियर को चलाने के लिये एक कैंक हैण्डिल की व्यवस्था है।

(अ) पुश बटन द्वारा समपार का संचालन:

(क) समपार फाटक को बंद करना :

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखें।
- (ii) पैनल के बैरियर-1 एवं बैरियर-2 के स्विच को 'आन' स्थिति में रखें।
- (iii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को आटो स्थिति में रखें।
- (iv) आपरेटिंग पैनल द्वारा क्लोज बटन दबाकर बूम को {बैरियर सं० बी-1 एवं बी-2} बन्द करें। क्लोज बटन दबाते ही एक हूटर बजने लगेगा और इन सम्बन्धित बूम आपरेट होगा। बूम के बन्द होने एवं स्वतः लाक होने के पश्चात, बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन आपरेटिंग पैनल पर मिलने पर बटन छोड़ें।
- (v) आपरेटिंग पैनल पर दोनों बूम लाक प्रूविंग का लाल इन्डीकेशन मिल जायेगा। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियंत्रण बटन दबायेगा। इसके उपरान्त सम्बन्धित स्टेशन के **V.D.U.(पी.सी.)** पर भी गेट "बन्द" इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (vi) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर सम्बन्धित कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार को लाक स्थिति में कर देगा, तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन बुझ जायेगा।

(ख) खोलने हेतु :

- (i) समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कंट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर, गेट कंट्रोल को गेट में वापस कर देगा जिससे गेट लाज पर लगे सम्बन्धित आपरेटिंग पैनल पर लाक फ्री का **सफेद** इन्डीकेशन मिल जायेगा।
- (ii) स्टेशन से लाक फ्री **सफेद** इन्डीकेशन प्राप्त होने के बाद बूम को खोलने के लिए आपरेटिंग पैनल पर उपलब्ध ओपेन बटन को तब तक दबाए जब तक कि पैनल पर बूम का ओपेन इन्डीकेशन न मिल जाए।

(ब) पुश बटन विफलता की स्थिति में हैण्ड जनरेटर से समपार का परिचालन:

(क) बन्द करने हेतु :-

- (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखें।
- (ii) पैनल के आटो/मैनुअल को मैनुअल स्थिति में रखें।
- (iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के कैंक को क्लक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक

कि बूम [बी1 व बी2] आपरेट होकर बन्द एवं स्वतः लाक न हो जायें तथा आपरेटिंग पैनल पर दोनो बूम लाक प्रूविंग का लाल इण्डिकेशन आपरेटिंग पैनल पर न मिल जाये। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियन्त्रण बटन दबायेगा। समपार फाटक का बंद होने का संकेत मिलने पर सम्बन्धित कार्यरत स्टेशन मास्टर **V.D.U.(पी.सी.)** द्वारा समपार फाटक को लाक स्थिति में कर देगा, तत्पश्चात् गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल 'आफ' करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

(ख) खोलने हेतु

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट कन्ट्रोल को गेट पर वापस कर देगा। जिससे गेट लाज पर लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन मिल जायेगा। (i) पैनल के आन/आफ स्विच को "आन" स्थिति में रखे।

(ii) पैनल के आटो/मैनुअल स्विच को मैनुअल स्थिति में रखें।

(iii) सर्व प्रथम आपरेटिंग पैनल पर लगे हैण्ड जनरेटर के क्रेन्क को एण्टी क्लाक वाइज दिशा में तब तक घुमायें जबतक कि बूम पूरा न खुल जायें। गेट पूरा खुल जाने पर आपरेटिंग पैनल पर गेट ओपेन इण्डिकेशन मिल जायेगा।

(स) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर की विफलता के समय :-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

स्टेशन मास्टर **V.D.U.(पी.सी.)** द्वारा समपार आपात कालीन नियंत्रण का संचालन करेगा जिससे गेट लाज में लाक फ्री प्रतीक जल जायेगा। तब गेटमैन चाभी "एन" को लीवर लाक से निकाल लेगा। गेट बन्द करने की प्रक्रिया निम्न विधि से करेगा:-

(i) चाभी "एन" को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी "सी.एच.जी.-1" मुक्त होगी।

(ii) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रेन्क हैण्डिल लगाने के लिए "नॉच" दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रेन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी "सी.एच.जी.-1" को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी "एन" को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा। बैरियर को क्रेन्क हैण्डिल से बन्द करने के पश्चात् बूम लाक कवर के साइड में बने लाक को पैनल चाभी द्वारा खोलेगा जिससे बूम लाक कवर के साइड में "नॉच" दिखाई पड़ता है। "नॉच" में बूम लाक क्रेन्क हैण्डिल लगाकर बैरियर को लाक करेगा। यही प्रक्रिया दोनो बैरियरों को बन्द करने के पश्चात् दोनो बूम लाक पर की जायेगी। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियन्त्रण बटन दबायेगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

(iii) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट कन्ट्रोल को लॉक स्थिति में कर देगा। जिससे गेट लाज में लाक फ्री इण्डिकेशन चला जायेगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल

“आफ” करेगा। सिगनल “आफ” करने पर गेट लाज में लगे दोनों आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार आपात कालीन नियंत्रण का संचालन करेगा। जिससे गेट लाज में लाक फ्री प्रतीक जल जायेगा। तब गेट मैन चाभी “एन” को लीवर लाक से निकाल लेगा। गेट खोलने की प्रक्रिया निम्न विधि से करेगा:-

- (i) चाभी “एन” को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी “सी.एच.जी.-1” मुक्त होगी।
- (ii) सर्वप्रथम बूम लाक को रिलीज किया जायेगा तत्पश्चात् क्रैन्क हैण्डिल द्वारा बैरियर को खोला जायेगा। गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए “नॉच” दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर एंटी क्लाक वाइज

दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा।

यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी “सी.एच.जी.-1” को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी “एन” को लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. में लगाकर घुमा देगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा।

(द) गेट पर लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से “एन” चाभी न निकलने की दशा में संचालन:-

(क) समपार का बन्द करने हेतु परिचालन:

- (i) पुश बटन एवं हैण्ड जनरेटर दोनों की विफलता की स्थिति में यदि गेट की चाभी लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर/के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (ii) स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. कक्ष में लगे ई.के.टी. में लगी एनई चाभी को निकाल कर किसी परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा कार्यरत गेटमैन के पास गेट लाज पर भेजेगा।
- (iii) एनई चाभी के प्राप्त होने पर कार्यरत गेटमैन चाभी एनई को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी “सी.एच.जी.-1” मुक्त होगी।
- (iv) गेटमैन लोकेशन के पास आयेगा और क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए ढक्कन को खोलेगा जिससे क्रैन्क हैण्डिल लगाने के लिए “नॉच” दिखाई पड़ेगी। जिससे क्रैन्क हैण्डिल को लगाकर क्लाक वाइज दिशा में आवश्यकतानुसार चलायेगा। यही प्रक्रिया दोनों बैरियरों के लिए की जायेगी। गेटमैन गेट के बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित होने के बाद गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच रिवर्स स्थिति में करेगा एवं नियन्त्रण बटन दबायेगा और सूचना स्टेशन मास्टर को देगा। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद चाभी “सी.एच.जी.-1” को वापस लाक अप बाक्स में लगा देगा और चाभी एनई को वापस एस.एम. पैनल कक्ष में लगे ई.के.टी. में लगा देंगे।
- (v) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गेट कन्ट्रोल को लॉक स्थिति में कर देगा। जिससे गेट लाज में लगे लीवर लाक असेम्बली पर से लाक फ्री इण्डिकेशन चला जायेगा। तत्पश्चात् गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल “आफ” करेगा। सिगनल “आफ”

करने पर गेट लाज में लगे दोनों आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा।

(ख) समपार को खोलने हेतु परिचालन:

- (i) एन चाभी के न निकलने की दशा में गेटमैन गेट लाज में प्रदत्त गेट कन्ट्रोल स्विच को नार्मल स्थिति में करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर एस.एम. कक्ष में लगे ई.के.टी. में लगी एनई चाभी को निकाल कर किसी परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा कार्यरत गेटमैन के पास गेट लाज पर भेजेगा।
- (ii) एनई चाभी के प्राप्त होने पर कार्यरत गेटमैन इस चाभी को गेट लाज में लगे 2वे लाक अप बाक्स में लगायेगा, जिससे चाभी 'सी.एच.जी.-1' मुक्त होगी। कार्यरत गेटमैन 'सी.एच. जी.-1' चाभी द्वारा गेट को खोल कर वापस 2वे लाक अप बाक्स में लगाकर एनई चाभी को मुक्त कर हस्त नियंत्रित रूप से स्टेशन को वापस करेगा कार्यरत स्टेशन मास्टर इस चाभी को पुनः ई.के.टी. में लगाना सुनिश्चित करेगा।

(य) स्लाइडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति :-

(क) समपार बन्द करने हेतु:-

- (i) जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार पर लगाए गए स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
- (ii) स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन के बीच अलग से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किया जायेगा।
- (iii) स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी सी1-सी2 वेल्ड है। स्लाइडिंग बूम बैरियर के 2 वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी सी1-सी2 को लगाकर घुमाने से सम्बन्धित बूम लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी टी1 एवं टी2 रिलीज हो जायेगी।
- (iv) 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी टी1 एवं टी2 को 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी 'एन' रिलीज होगी। गेटमैन इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमायेगा जिससे समपार बन्द होने का इण्डिकेशन स्टेशन मास्टर को पैनल पर प्राप्त होगा।
- (v) समपार फाटक को बंद होने का संकेत मिलने पर स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण को लाक स्थिति में कर देगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा। सिगनल "आफ" करने पर गेट लाज में लगे आपरेटिंग पैनल पर से लाक फ्री का सफेद इण्डिकेशन बुझ जायेगा। सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 से चाभी 'एन' को नहीं निकाला जा सकेगा।

(ख) समपार खोलने हेतु :-

समपार फाटक से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर, समपार नियंत्रण को रिलीज करेगा। जिससे गेट लाज में गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिल जायेगा। गेट रिलीज का इण्डिकेशन मिलने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन चाभी 'एन' के0एल0सी0आर0 से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगायेगा। चाभी 'एन' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी टी1 एवं टी2 मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी टी1 एवं टी2 को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी सी1 एवं सी2 को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

(र) समपार नियंत्रण:

स्टेशन मास्टर के वी.डी.यू. पैनल पर "551" समपार नियंत्रण की व्यवस्था है। वी.डी.यू. के स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार समपार को 'लाक' अथवा 'रिलीज' करने के लिए कार्यरत स्टे. मा. द्वारा सम्बन्धित "551" के पॉप अप मीनू पर 'लाक कंट्रोल' अथवा 'रिलीज कंट्रोल' के विकल्प पर जाकर आवश्यकतानुसार क्लिक करेगा। 'लाक कंट्रोल' से स्टे.मा. समपार को लाक करेगा तथा 'रिलीज कंट्रोल' द्वारा स्टे.मा., गेटमैन को समपार खोलने की अनुमति देगा।

(ल) आकस्मिक समपार नियंत्रण:

नियंत्रण को रिलीज स्थिति में करते हैं। परिणाम स्वरूप गेट लाज में लगे लीवर लाक सह सर्किट कंट्रोलर में लाक फ्री प्रतीक जल जाता है और चाभी "एन" लीवर लाक से मुक्त हो जाती है। चाभी "एन" को गेट लाज में लगे लाक अप बाक्स में लगाकर घुमाने पर चाभी सी.एच.जी-1 मुक्त हो जायेगा तथा वह कैंक हैन्डिल द्वारा गेट का परिचालन कर सकेगा। परिचालन पूर्ण होने पर गेटमैन कैंक हैन्डिल को पुनः उसके स्थान पर लगा देगा तत्पश्चात स्टे.मा. सम्बन्धित सी०एच०जी०-1 के पॉप अप मीनू पर 'लाक कंट्रोल' के विकल्प पर जाकर क्लिक करेगा, जिससे समपार के कैंक हैन्डिल पर स्टे.मा. का पुनः नियंत्रण हो जायेगा।

नोट: I. आपातकालीन स्विच :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास केस में लगा है। केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को "आन" करने के लिए गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा। ऐसा करने से गेट रक्षित सिगनल "आन" दशा में हो जायेंगे। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा। केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

II. विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट का संचालन :

समपार फाटक पर सी०एच०जी०-1/स्लाइडिंग बूम की विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय आपातकालीन चाभी 'एनई' का प्रावधान है। यह चाभी स्टेशन मास्टर कार्यालय (पैनल रूम) में लगे सील्ड एवं ताला बन्द केस में लगी ई०के०टी० में लाकड रहती है। सी०एच०जी०-1/स्लाइडिंग बूम की पैनल से विद्युत नियंत्रण की विफलता की स्थिति में चाभी 'एनई' परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है इस चाभी को निकालने से गेट रक्षित सिगनल 'आन' स्थिति में हो जाते/रहते हैं। विफलता ठीक होने पर पुनः ई०के०टी० में लगा दी जाती है तथा ग्लास केस सील्ड एवं ताला बंद कर दिया जाता है।

(बी) गेटमैन को सूचना :-

- (i) डाउन गाड़ियों का सीतापुर सिटी से आगमन एवं अप गाड़ियों का सीतापुर सिटी को प्रस्थान के लिये इस समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को टेलीफोन पर निम्न सूचनाएं देगा एवं स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे :-

सामान्य स्थिति में :-

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	सूचना का समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके इंडीकेशन देने का समय	स्लाइडिंग बूम से कार्य करते समय प्रा.नं० का आदान प्रदान	गेटमैन का प्रा.नं.	स्टेमा का प्रा.नं.	समपार से गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	

गेट विफल होने की स्थिति में :-

इण्टरलाक गेट विफल होने की स्थिति में गेट को नान-इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान की कार्य प्रणाली नान-इण्टरलाक गेट की कार्यप्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेंगे:-

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने / देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (ii) इण्डिकेशन मिल जाने के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण से गेट कन्ट्रोल को लॉक कर लेगा। ऐसा करने पर समपार फाटक बन्द व लाक के ऊपर एक सफेद लघु बत्ती जल जायेगी। तत्पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल 'आफ' करेगा।
- (iii) स्टेशन मास्टर का यह दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।
- (iv) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड को/से पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर-पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिए बन्द व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके पश्चात ही समपार फाटक को पार करेगा।

(सी) टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :-

- (i) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कांटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रूप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा के बारे में सूचित करेगा।
- (ii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करेगा। गेट का बन्द एवं लाक इंडीकेशन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल "आफ" करेगा।
- (iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा कार्यरत गेटमैन को सूचित करना सम्भव न हो सके तो वह गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल "आन" स्थिति में पार करने हेतु लिखित आदेश देगा।
- (iv) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।

- (v) आने वाली गाड़ी के केस में स्टेशन मास्टर भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।
- (vi) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(डी) इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता :-

- (i) जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि जब बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।
- (ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- (iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।
- (iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जब इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ई) गेट की चाभी का गेट की बंद स्थिति में विफल हो जाना जब "गेट की चाभी" खोलने के लिए न निकाली जा सके :

- (i) यदि गेट की बंद स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर गेट की चाभी के.एल. सी.आर. इत्यादि से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए टेलीफोन से सूचित करेगा।
- (ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातकालीन चाभी "एनई", जो स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी ई0के0टी0 में लाक रहती है, की सील को तोड़कर कार्यरत कर्मचारी के द्वारा गेट पर भिजवायेगा तथा इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर अभिलेख में कारण सहित उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा।
- (iii) इस परिस्थिति में गेट को नान इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की कार्य प्रणाली के अनुसार किया जायेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के.एल.सी. आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

- (vii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।
- (viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा।

(एफ) समपार फाटक की खुली दशा में “गेट चाभी” की विफलता :

- (i) समपार फाटक की खुली दशा में यदि के.एल.सी.आर. से गेट की चाभी निकाली न जा सके तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान के साथ सूचित करेगा।
- (ii) इस परिस्थिति में गेट को नान इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान नान-इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा तथा गाड़ी को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
- (iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के डाइवर्स को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
- (v) स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गाड़ियों को ब्लाक खंड में प्रवेश कराने के पूर्व “गेट खुली दशा में खराब है” के लिए सतर्कता आदेश जारी करने के लिए सूचित करेगा।
- (vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते हैं को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।
- (vii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।
- (viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा।

(जी) समपार फाटक पर अवरोध :-

- (i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैंग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।
- (ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये ‘आफ’ किया गया हो तो उसको ‘आन’ करने के लिये सूचित करेगा।
- (iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
- (v) गेटमैन तब पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।
- (vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।
- (vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा है।
- (viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर भेजने वाली गाड़ी के स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।

- (ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान से सूचित करेगा।
- (x) स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुये समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।
- (xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
- (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।
- (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(एच) समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ का किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये गेट को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.5 गेटमैन के कर्तव्य :-

(1) सावधानी :-

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :-

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगा:-

- (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेटमैन दौंये हाथ में लाल झण्डी तथा बाँये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेटमैन गले में धागे में बँधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-

- (i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।
- (ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक वह गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।
- (iii) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।
- (iv) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

- (v) गेटमैन, गार्ड द्वारा झाइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।
 - (vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।
 - (vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंगमेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
 - (viii) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
 - (ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।
 - (x) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
 - (xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
 - (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।
 - (xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।
 - (xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।
 - (xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनों तरफ लगाये गये "हाइट लोडिंग गेज" के नीचे से गुजरे।
 - (xvi) जहाँ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4). **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य :-**
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :-
- (i) वह तत्काल ही झाइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
 - (ii) साथ ही साथ झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
 - (iii) यदि झाइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरान्त भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
 - (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
 - (v) वह झाइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुये दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।
 - (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।
- (5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही :-**
- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फलैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।

- (ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा :-

(अ) दोहरी लाइन पर:-

- (i) यदि दोनो लाइनें अवरुद्ध हैं तो गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थान पर लगायेगा। गेटमैन पहले उस लाइन को संरक्षित करेगा, जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना हो।
- (ii) तदोपरान्त उसी तरह गेटमैन दूसरी लाइन पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती अवरोध के 5 मीटर दूर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखा, दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :-

- (i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे- वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, वाहन मालिक का नाम। गेटमैन, स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।
- (iii) स्टेशन से थामसनगंज साइडिंग अथवा थामसनगंज साइडिंग से स्टेशन कोई भी मूवमेन्ट करते समय यह समपार फाटक नान-इण्टरलाक गेट की भौति कार्य करेगा, इस अवधि में नान-इण्टरलाक समपार के प्रोफार्मा के अनुसार कार्य किया जायेगा। स्टेशन मास्टर द्वारा थामसनगंज साइडिंग लोड भेजने से पूर्व समपार सं० 93 पर कार्यरत गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का

आदान-प्रदान करके समपार को बन्द व लाक कराने के बाद ही पैनल/वी.डी.यू. से सम्बन्धित लाइन के शन्ट सिगनल को 'आफ' किया जायेगा तथा गेटमैन द्वारा शन्टिंग ट्रेन को 'आगे बढ़ो' का हाथ सिगनल दिखाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
साइडिंग से लोड बैक कराते समय स्टे.मा. द्वारा **समपार सं० 93** पर गेटमैन से **प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान** करके समपार का बन्द व लाक होना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शन्टिंग ट्रेन को गेटमैन द्वारा 'आगे बढ़ो' का हाथ सिगनल दिखाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7 25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:-

- (i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।
- (ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।
- (iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधें पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।
- (iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचे अथवा दौड़ाये।
- (v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुएँ जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।
- (vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।
- (vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तो:-
 7. गेट को तुरन्त बंद करें।
 8. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे-
 - (क) ओ.एच.ई. की तारों से आग लगने पर।
 - (ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
 - (ग) इंजन के पेंटो में खराबी।
 - (घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
 - (ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
 - (च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।
11. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत में **टूटी तारों** एवं बांड को न छुएँ।
12. ओ.एच.ई. के **तार टूटने** की स्थिति में यातायात की दिशा में सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार बैनर-फ्लैग एवं पटाखें लगायें।
13. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनों लाइनों पर ओ.एच.ई. के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनों तारों पर अप एवं डाउन लाइन में पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।
- (viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।
- (x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तो तुरन्त स्टेशन मास्टर को सूचित करें।
- (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ में आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।
- (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़ें।
- (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुएँ तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट – सी

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

.....कुछ नहीं

..... परिशिष्ट 'डी'

परिचालन कार्यों के लिये कर्मचारियों का सामान्य उत्तरदायित्व

साधारण एवं सहायक नियमों में निर्धारित कर्तव्यों तथा प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अतिरिक्त दैनिक संचालन कार्यों से सम्बन्धित स्टेशन कर्मचारियों के निम्नलिखित सामान्य कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होंगे :-

1. स्टेशन अधीक्षक (पर्यवेक्षक) :-

गाड़ी संचालन तथा जनता के समस्त कार्यों के सम्बन्ध में स्टेशन अधीक्षक सीधे उत्तरदायी होंगे। इसके साथ ही उनके कर्तव्य में निम्न भी सम्मिलित हैं:-

- 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम 5.01 के अनुसार सुपुर्द कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित कराना एवं सामान्य पर्यवेक्षण।
- 1.2 सभी श्रेणी के कर्मचारी अपने रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा वर्तमान नियमों एवं अनुदेशों के अनुसार सही एवं संरक्षित कार्य पद्धति अपनाई जा रही है, इसे सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जांच।
- 1.3 समय-समय पर निकलने वाले संरक्षा एवं परिचालन से सम्बन्धित परिपत्रों, पम्पलेटों एवं गजटों इत्यादि को अद्यतन रखना एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जानकारी देकर उनका आश्वासन लेना तथा स्टाफ को संरक्षा पद्धति एवं नियमों हेतु काउन्सिल करना।
- 1.4 आवधिक परीक्षण एवं जांच करके यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों को उनसे सम्बन्धित कार्यों का पूर्णरूपेण ज्ञान है।
- 1.5 रात्रि एवं औचक निरीक्षण द्वारा स्टाफ की सर्तकता तथा सिगनलो एवं कॉटो की क्रियाशीलता एवं सिगनलों की दृश्यता जाँचना।
- 1.6 प्रत्येक दिन स्टेशन का निरीक्षण कर निम्न की क्रियाशीलता सुनिश्चित करेंगे :-
 - सभी यात्री सुविधायें जैसे पंखा, बत्ती, लिफ्ट, एसक्लेटर्स इत्यादि।
 - सभी उपकरण क्रियाशील हैं तथा खराबी को तुरन्त ठीक कराया गया हो या लघु मरम्मत पुस्तिका में अंकित हों।
 - गाड़ियों का संरक्षित एवं सुरक्षित परिचालन।
 - पैनल कक्ष/स्टेशन मास्टर कार्यालय, पार्सल कार्यालय, यार्ड, कोचिंग काम्प्लेक्स, अधीनस्थ समपार फाटक।
 - आरक्षण इन्क्वायरी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक इन्फार्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, बुकिंग आफिस, टिकट चेकिंग, कैटरिंग एवं वेण्डिंग स्टाल इत्यादि।
 - पीने वाले पानी की उपलब्धता।
- 1.7 सुनिश्चित करना कि स्टेशन मास्टर कार्यालय/पैनल में टी0एस0आर0, नियम पुस्तिकाएँ, स्टेशन मास्टर डायरी, निरीक्षण पुस्तिकाएँ, सम्बन्धित किताबों तथा अन्य स्टेशन रिकार्डों का समुचित ढंग से रखरखाव व न्यूनतम निर्धारित अवधि तक संरक्षित रखा जा रहा है।

- 1.8 सुनिश्चित करना कि स्टेशन पर सभी आवश्यक संरक्षा उपकरण उपलब्ध एवं पूर्ण हैं, अपूर्ण होने की दशा में अविलम्ब आपूर्ति कराते हुये, यार्ड तथा यार्ड उपकरणों का आवधिक परीक्षण ।
- 1.9 सुनिश्चित करना कि स्टेशन पर आवश्यकतानुसार दिनो पर पर्याप्त स्टोक उपलब्ध है. वह विलम्बित गाड़ी को ध्यान में रखते हुये आवश्यक होने पर स्केच रेक हेतु कार्यवाही करेंगे तथा अपने स्टेशन पर उपलब्ध/आवंटित रिजर्व स्टोक कि निगरानी करेंगे।
- 1.10 सुनिश्चित करना कि आश्वासन पंजिका, प्रवीणता प्रमाण-पत्र तथा स्टेशन कार्यप्रणाली का समुचित ढंग से रख-रखाव ।
- 1.11 व्यक्तिगत रुचि लेकर टूप्स, पब्लिक, प्रिजनर व ट्रेजरी इत्यादि कैरेजों का शीघ्रता से निष्पादन करेगा।
- 1.12 जब कभी विशेष गाड़ी स्टेशन से चलाया जाना प्रस्तावित हो तो यह सुनिश्चित करना कि उसके लिये निर्धारित स्टोक सही लाइन पर समय से उपलब्ध कराकर संरक्षित कर दिया गया हो।

कमश: पृष्ठ 2 पर

- 1.13 किसी गाड़ी के स्टेशन पर अथवा स्टेशन के बाहर विलम्बन की दशा में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मण्डल कार्यालय को भेजना।
- 1.14 सुनिश्चित करना कि सभी परिचालन कर्मचारी जिनका पी0एम0ई0/रिफ्रेशर/सेप्टी कैम्प ड्यू हो, समय से विरामित कर दिये गये हों।
- 1.15 सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की जाँच कर उसकी रिपोर्ट मण्डल कार्यालय को भेजना।
- 1.16 खण्ड/स्टेशन में दुर्घटना होने पर हूटर बजना सुनिश्चित करना व स्थल पर शीघ्र पहुँचना तथा समय से सभी सूचनाएँ एकत्र कर कन्ट्रोल को सूचित कर आवश्यक सहायता माँगना तथा दुर्घटना स्थल की जाँच कर सभी जिम्मेदार कर्मचारियों के बयान लेकर अपने निष्कर्ष के साथ ज्वाइन्ट रिपोर्ट बनाकर मण्डल कार्यालय को भेजना।
- 1.17 सुनिश्चित करना कि स्टेशन पर उपलब्ध आग बुझाने वाले यन्त्र जैसे अग्निशामक यन्त्र एवं आग बुझाने वाली बाल्टियों इत्यादि प्रयोग करने हेतु क्रियाशील अवस्था में है।
- 1.18 दुर्घटना बचाने और कार्य को सुरक्षित और सही विधि से लागू करने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना एवं दुर्घटना रजिस्टर व दुर्घटना चार्ट का रखरखाव कर इन्हें अद्यतन रखना।
- 1.19 सभी जन शिकायतों की जाँच करना तथा सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण लेकर अपने रिमार्क के साथ मण्डल कार्यालय को समय से प्रेषित करना। दूसरे विभाग से सम्बन्धित शिकायत के मामले में उस विभाग के प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरन्त सूचित करने की व्यवस्था करे जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(2) उप स्टेशन अधीक्षक :-

स्टेशन अधीक्षक को उसके कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के सुचारु रूप से पूरा करने में सहायता करना तथा उनकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को करना और यह देखना कि सभी कर्मचारियों द्वारा कार्य कुशलतापूर्वक लागू नियमों के अनुसार किये जा रहे हैं। कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा। इसके साथ-साथ इनके कर्तव्य में निम्न भी सामिलित है :-

- 2.1 थामसनगंज साइडिंग में होने वाली शन्टिंग कार्य का पर्यवेक्षण करना। लदे हुये अथवा रिक्त वाहनों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करना।
- 2.2 कन्ट्रोल से सम्पर्क स्थापित करके यार्ड में शंटिंग इंजन एवं थामसनगंज साइडिंग आने व जाने वाले लोड के क्लियरेंस को सुपरवाइज करेगा व शंटिंग आदेश जारी करेगा।
- 2.3 स्टेशन अधीक्षक की अनुपस्थिति में वह सामान्य सुपरविजन करेगा और उनको सम्बोधित सभी तारों एवं सूचनाओं को निपटाना तथा यह देखना कि उस पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- 2.4 वह यह देखेगा कि उसके अधीनस्थ सभी कर्मचारी साफ सुथरी और निर्धारित यूनीफार्म में आये।
- 2.5 स्टेशन मास्टर/आउटडोर से आपसी सामन्जस्य बनाकर व सहयोग करते हुये गाड़ियों की समय से संचालन व परिचालन कार्य हेतु उत्तम योजना बनाना एवं असमान्य कार्य प्रणाली में सहायता करना।
- 2.6 इस स्टेशन से चलने वाली/इस स्टेशन तक आने वाली गाड़ियों के शन्टिंग कार्य में स्टेशन मास्टर/आउटडोर की सहायता करना। स्टेशन डायरी, स्टेशन आदेश पुस्तिका, ट्रेन डिटेन्शन रजिस्टर को अद्यतन रखना एवं मेमों बुक को सम्भालना।

- 2.7** इस स्टेशन पर रुकने वाली सभी गाड़ियों का निर्धारित अवधि में प्रस्थान होना सुनिश्चित करना।
- 2.8** वह यार्ड में होने वाली सभी दुर्घटनाओं को अटेंड कर समय से सभी सूचनाएँ एकत्र कर स्टेशन अधीक्षक तथा कन्ट्रोल को सूचित कर आवश्यक सहायता माँगना तथा कन्ट्रोल के आदेशानुसार आवश्यकतानुसार सिविल अथारटी को भी सूचित करना एवं दुर्घटना से सम्बन्धित सूत्रो अथवा साक्ष्यों को जो दुर्घटना जॉच में सहायक हो, को सुरक्षित रखना।

कमशः पृष्ठ 3 पर

- 2.9** आकस्मिक दशा में पैनल पर कार्य करना।
- 2.10** पर्यवेक्षकों से प्राप्त अनुदेशों को आदेश पुस्तिका में रिकार्ड कर सभी अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना बशर्ते यह अनुदेश संरक्षा नियमों की अवहेलना न करते हो।
- 2.11** जब कभी विशेष गाड़ी स्टेशन से चलाया जाना प्रस्तावित हो तो यह सुनिश्चित करना कि उसके लिये निर्धारित स्टाक सही लाइन पर समय से उपलब्ध कराकर संरक्षित कर दिया गया हो।
- 2.12** मण्डलीय नियंत्रण से सम्पर्क बनाये रखना तथा नियंत्रण कार्यालयों से प्राप्त सभी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- 2.13** वह स्टेशन अधीक्षक द्वारा सौंपी गयी ड्यूटी का निष्पादन करेगा।

3. स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/आउटडोर :-

स्टेशन मास्टर/आउटडोर गाड़ियों के संचालन आगमन/प्रस्थान/पार्सलों के लोडिंग/अनलोडिंग तथा वैहिकल के काटने एवं जोड़ने सम्बन्धी विषयों के प्रभारी होंगे। गाड़ी संचालन से सम्बन्धित अन्य सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त उसके कर्तव्य में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे:-

- 3.1** साधारण तथा सहायक नियम एवं स्टेशन कार्य प्रणाली में अंकित नियमों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित करना।
- 3.2.** मण्डल के खण्ड नियंत्रक से बराबर सम्पर्क कर गाड़ियों के बर्थिंग की व्यवस्था करना इसके लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर/इनडोर को भी समय से सूचित करना।
- 3.3** यात्री तथा स्पेशल यात्री गाड़ियों के समय उपस्थित होकर सम्बन्धित गाड़ियों के सम्बन्धित कार्य को पूरा कराकर समय से प्रस्थान करना सुनिश्चित करेगा।
- 3.4** स्टेशन मास्टर/इनडोर से सूचना मिलने पर ट्रैक, सिगनल, कॉटें, पैनल इत्यादि की विफलता की लिखित सूचना ई.एस.एम/एम.एस.एम को देकर साथ ही इसकी इंट्री सिगनल विफलता रजिस्टर में करेगा तथा सम्बन्धित प्रपत्र जारी करेगा।
- 3.5** अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 3.6** गाड़ियों में गार्ड लाइन बाक्स, पी0सी0पी0 तथा स्ट्रेचर इत्यादि का समय से लोडिंग/शिफ्टिंग सुनिश्चित करना।
- 3.7** इस स्टेशन से चलने वाली/इस स्टेशन तक आने वाली गाड़ियों का सही समय से प्लेसमन्ट/विथड्राल होना सुनिश्चित कर इस सम्बन्ध का रिकार्ड रखना और शंटिंग मूवमेन्ट सुनिश्चित करना। स्टेशन डायरी, आदेश पुस्तिका, ट्रेन डिटेन्शन रजिस्टर को अद्यतन रखना एवं मेंमों बुक को सम्भालना।
- 3.8** मण्डलीय नियंत्रण से सम्पर्क बनाये रखना तथा नियंत्रण कार्यालयों से प्राप्त सभी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- 3.9** स्टेशन मास्टर/इनडोर से आपसी सामन्जस्य बनाकर व सहयोग करते हुये गाड़ियों की समय से संचालन व परिचालन कार्य हेतु उत्तम योजना बनाना एवं असमान्य कार्य प्रणाली में सहायता करना। गाड़ियों को संरक्षित कराना।
- 3.10** इस स्टेशन पर रुकने वाली सभी गाड़ियों का निर्धारित अवधि में प्रस्थान होना सुनिश्चित करना।
- 3.11** आकस्मिक दशा में पैनल पर कार्य करना।
- 3.12** पर्यवेक्षकों से प्राप्त अनुदेशों को आदेश पुस्तिका में रिकार्ड कर सभी अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना बशर्ते यह अनुदेश संरक्षा नियमों की अवहेलना न करते हो।
- 3.13** यार्ड में दुर्घटना होने पर स्थल पर शीघ्र पहुँचना तथा समय से सभी सूचनाएं एकत्र कर कन्ट्रोल को सूचित कर आवश्यक सहायता माँगना तथा कन्ट्रोल के आदेशानुसार आवश्यकतानुसार सिविल अथारटी को भी सूचित करना एवं दुर्घटना से सम्बन्धित सूत्रो अथवा साक्ष्यों को जो दुर्घटना जॉच में सहायक हो, को सुरक्षित रखना।

कमशः पृष्ठ 4 पर

- 3.14** स्टेशन अधीक्षक को अंकित सभी प्रकार के मेमों एवं प्रपत्र इत्यादि जो कोचिंग स्टाक/ गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित हैं, को प्राप्त करना। कोचिंग स्टाक के संचालन के बारे में आदेशों का अनुपालन तथा सम्बन्धित को सूचना पत्र/कार्य आदेश जारी करना।
- 3.15** स्टेशन मास्टर/इनडोर से सूचना मिलने पर ट्रैक सर्किट विफलता के समय स्वयं देखकर लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होने का सत्यापन करेगा तथा स्टेशन मास्टर/इनडोर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- 3.16** गाड़ी एवं वाहनों के संचालन सम्बन्धी पूर्व योजना को बनाना तथा अपेक्षित गाड़ियों के परिचालन के लिये अग्रिम प्रबन्ध करना।
- 3.17** यथा सम्भव जनता के परिवाद को देखना तथा निवारण करना।
- 3.18** प्रस्थान करने वाली गाड़ी हेतु सतर्कता आदेश (टी-409) तैयार करना तथा गार्ड एवं चालक को समय से मिलना सुनिश्चित करना। शटिंग स्टाफ कि कार्यप्रणाली पर निगाह रखेगा।
- 3.19** आवश्यकता पड़ने पर विफलता की दशा में स्टेशन मास्टर/इनडोर की सहायता करेगा तथा कॉटो को कैंक हैण्डिल द्वारा आवश्यकतानुसार सेट कर क्लैम्प व पैड लाक करा कर स्टेशन मास्टर/इनडोर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सूचित करेगा।
- 3.20** इजी. प्रतिबन्धों का रिकार्ड अद्यतन रखेगा। प्रत्येक सोमवार को सतर्कता आदेश रजिस्टर को ब्राट फारवर्ड करेगा और नोटिस बोर्ड पर जो भी सतर्कता आदेश हों दर्शाया जायेगा।
- 3.21** गाड़ी नियन्त्रक व कर्षण नियन्त्रक से सम्पर्क करके आवश्यकतानुसार इन्जी० ब्लाक/ पावर ब्लाक/ट्राफिक ब्लाक व डिस्कनेक्शन/रीकनेक्शन देने/लेने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इसकी सूचना स्टेशन मास्टर/इनडोर व उपस्टेशन अधीक्षक को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा देगा।
- 3.22** गाड़ी संचालन से सम्बन्धित किताबों को नवीनतम शुद्धि पर्वी लगाकर अद्यतन अपने पास रखेगा तथा नियमों की जानकारी रखेगा। निरीक्षण के दौरान मॉगे जाने पर अपनी इस किताब को उपलब्ध करायेगा।

4. **स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर/इनडोर :-**

स्टेशन मास्टर/इनडोर V.D.U.(पी.सी.) का प्रभारी है और गाड़ी के सुरक्षित तथा कुशल संचालन के लिये उत्तरदायी है। वह ठीक ढंग से V.D.U.(पी.सी.) के आपरेशन हेतु सीधे जिम्मेदार है। अन्य बातों के साथ-साथ उसके कर्तव्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :-

- 4.1** वह पैनल कक्ष में प्रदत्त ब्लाक यंत्र, ब्लाक टेलीफोन, V.D.U.(पी.सी.) इत्यादि का स्वयं संचालन करेगा तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को, ब्लाक यंत्र, ब्लाक टेलीफोन, V.D.U.(पी.सी.) इत्यादि का प्रयोग नहीं करने देगा।
- 4.2** असामान्य कार्यप्रणाली की दशा में अथवा कार्य हेतु बुलाये जाने पर साधारण एवं सहायक नियम के अनुसार गाड़ी के लाइन विलयर लेने/देने या शटिंग कार्य हेतु भी उत्तरदायी होगा।
- 4.3** किसी गाड़ी के लाइन क्लीयर के उपरान्त अपने को कार्य मुक्त तबतक न समझेगा जबतक गाड़ी पूरी आ न जाये/अगले स्टेशन पहुँच न जाये।
- 4.4** ड्यूटी हेतु कार्य ग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कॉटों, सिगनल तथा ब्लाक यन्त्र क्रियाशील दशा में हैं व गाड़ी आवागमन सम्बन्धित सभी रजिस्टर, रिकार्ड उपलब्ध हैं।
- 4.5** V.D.U.(पी.सी.) के ठीक से आपरेशन कॉटों की सेटिंग, लाकिंग एवं सिगनलों को 'टेक आफ' करने हेतु सीधे उत्तरदायी है।
- 4.6** सिगनल को "आफ" करने से पूर्व यह स्वयं सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन संचालन नियमावली के अनुसार आगमन सिगनल को "आफ" करने कि शर्तें सभी पूरी हैं और लाइन साफ है।
- 4.7** V.D.U.(पी.सी.) पर उपलब्ध संकेतों को देखकर यह सुनिश्चित करेगा कि सिगनल चमकदार जल रहें हैं और उनका संकेत सही मिल रहा है।

कमश पृष्ठ 5 पर

- 4.8** यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शटिंग संचालन जारी आदेशों के अनुसार किये जा रहें हैं।
- 4.9** ट्रैक सर्किट की विफलता के समय रनिंग लाइन को साफ होना, स्टेशन मास्टर (आउटडोर) से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा सुनिश्चित करेगा।

- 4.10 यह सुनिश्चित करेगा कि कॉटों, सिगनलों, ट्रैक सर्किटों, कैंक हैन्डिल, समपार फाटक इत्यादि के सही संकेत सही जगह पर प्रदर्शित हो रहे हैं।
- 4.11 कॉटों की विफलता के समय सम्बन्धित कॉटों का कैंक हैन्डिल निकालकर कार्यरत स्टे० मा०(आउटडोर) को देने के लिये उत्तरदायी होगा तथा स्टे० मा०(आउटडोर) से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा कॉटों का वॉछित रूट हेतु सेट होना सुनिश्चित करेगा।
- 4.12 स्टेशन मास्टर/आउटडोर द्वारा प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान किये जाने पर ट्रॉफिक/पावर ब्लॉक/डिस्कनेक्शन के दौरान V.D.U.(पी.सी) पर सम्बन्धित लाइन व कॉटों को ब्लाक कर लाइन/कॉटों पर ब्लाक इन्डीकेशन का होना सुनिश्चित करना।
- 4.13 ट्रैक सर्किट पर क्लीयर इंडीकेशन देखकर, गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करना। इंडीकेशन के विफलता की स्थिति में निर्धारित पुस्तिका पर गाड़ी का पूर्ण आगमन मँगाने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 4.14 शंटिंग संचालन हेतु पैनल से मोटर चालित कॉटों को सेट करना, लाक करना तथा शंटिंग सिगनलों को 'आफ' करना।
- 4.15 जब कभी थोड़ी देर के लिये अपने कार्यालय से बाहर जाना हो तो V.D.U.(पी.सी.) की चाभी तथा प्राइवेट संख्या पुस्तिका निजी अभिरक्षा में रखेगा।
- 4.16 ट्रेन सिगनल रजिस्टर, समपार लाग रजिस्टर तथा अन्य सम्बन्धित रिकार्ड को मेन्टेन करने तथा अद्यतन रखने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 4.17 वह अपना अन्तिम निर्णय सेक्शन गाड़ी नियन्त्रक से परामर्श लेने के पश्चात गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान तथा शंटिंग कार्य हेतु स्टेशन मास्टर/आउटडोर को व्यवस्था करने हेतु निर्देश देगा।
- 4.18 गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान को शीघ्रता से कंट्रोल को सूचित करेगा तथा पर्यवेक्षकों से प्राप्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा बशर्ते यह अनुदेश संरक्षा नियमों की अवहेलना न करते हो।
- 4.19 ब्लाक यंत्र/ब्लाक पैनल/ब्लाक टेलीफोन/V.D.U.(पी.सी.) विफलता इत्यादि सूचना स्टेशन मास्टर/आउटडोर को देगा। आउटडोर के नहीं होने पर स्वयं ई. एस.एम/एम.एस.एम को सूचना देकर साथ ही इसकी इंट्री सिगनल विफलता रजिस्टर में करेगा तथा सम्बन्धित प्रपत्र जारी करेगा।
- 4.20 किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त सेक्शन कन्ट्रोलर, स्टेशन अधीक्षक एवं स्टेशन मास्टर (आउट डोर) को सम्बन्धित सभी उपलब्ध सूचनाये जैसे दुर्घटना स्थल, कारण तथा सहायता इत्यादि सूचित करेगा।
- 4.21 विलम्ब से आने वाली तथा प्रस्थान करने वाली गाड़ियों का कारण कन्ट्रोल को सूचित करेगा।
- 4.22 गाड़ी संचालन से सम्बन्धित किताबों को नवीनतम शुद्धि पर्वी लगाकर अद्यतन अपने पास रखेगा तथा नियमों की जानकारी रखेगा। निरीक्षण के दौरान मॉगे जाने पर अपनी इस किताब को उपलब्ध करायेगा।
- 4.23 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 4.24 पर्यवेक्षकों द्वारा दिये गये नियमानुकूल आदेशों का पालन करेगा जो कि लागू नियमों का उल्लंघन न करते हो।
- 4.25 किसी भी असमान्य कार्यप्रणाली की दशा में ही कार्यरत स्टेशन मास्टर/आउटडोर की ड्यूटी भी करेगा।

कमश पृष्ठ 6 पर

- 4.26 लाइन क्लीयर अनुमति लिये/दिये जाने वाली गाड़ी का विवरण स्टेशन मास्टर (आउट डोर) को भी देगा तथा अपने अधीन पड़ने वाले समपार फाटक पर कार्यरत फाटकवाले से सम्बद्ध स्थापित करेगा।
- 4.27 वह शंटिंग संचालन या कोई दूसरी परिचालन सम्बन्धी सूचना हेतु शंटिंग स्टाफ या किसी गाड़ी के चालक या पाली में कार्यरत सिगनल एवं दूर संचार कर्मचारी के मरम्मतकर्ता को एनाउन्समेन्ट के द्वारा सूचित करेगा।

5. कॉटावाला :-

स्टेशन पर गाड़ियों के रिसेप्सन एवं डिस्पैच तथा शन्टिंग मूवमेंट के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के पालन करने का उत्तरदायी है। स्टेशन की सुरक्षा एवं त्वरित कार्य के लिये कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। इसके साथ-साथ उनकी ड्यूटी में नीचे लिखे कार्य भी शामिल हैं :-

- 5.1 शंटिंग कार्य को निष्पादित कराने वाले पर्यवेक्षक के आवश्यकतानुसार उनके दिशा निर्देश पर डिब्बों को काटेगा अथवा जोड़ेगा।
- 5.2 शंटिंग कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर खतरे का सिगनल प्रदर्शित करेगा।
- 5.3 असामान्य परिस्थितियों में कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा निर्देश पर सम्बन्धित कॉटो का आवश्यकतानुसार क्लैम्प व पैडलाक होना सुनिश्चित कर गाड़ी को पायलट करेगा।
- 5.4 ड्यूटी पर कार्यरत रहने पर निर्धारित साफ सुथरी वर्दी धारण करेगा।
- 5.5 अपने पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं होगा। रिलीफ द्वारा चार्ज ग्रहण किये बगैर ड्यूटी नहीं छोड़ेगा और न ही पर्यवेक्षकों से पूर्व में अनुमति लिये बगैर ड्यूटी बदलेगा।
- 5.6 नान-इण्टरलाकड यार्ड में शंटिंग करते समय कॉटो को सही सेट व लाक कर उनको रक्षित करेगा तथा कॉटो पर से गाड़ी के गुजरते समय या उन पर खड़ी रहने की दशा में कॉटो को नहीं छेड़ेगा।
- 5.7 शंटिंग कार्य के निष्पादन के उपरान्त वह सुनिश्चित करेगा कि लोड फाउलिंग मार्क साफ करके खड़ा है।
- 5.8 दिन के समय हाथ झण्डी एवं रात्रि के समय हाथ बत्ती के साथ अपना कार्य निष्पादित करेगा।
- 5.9 सम्बन्धित सिगनल का आफ होना देखकर या रूट का सही सेट व लाक होना स्वयं सुनिश्चित कर गाड़ी के ड्राइवर को आवश्यक कागजात सौंपेगा।
- 5.10 ट्रैक के विफल हो जाने की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर को लाइन का साफ व बाधा रहित होना सुनिश्चित करने हेतु मदद करेगा।
- 5.11 आवश्यकता पड़ने पर रूकने वाली गाड़ियों के गार्ड से पूर्ण आगमन रिपोर्ट लेना।
- 5.12 दिन में टेल बोर्ड तथा रात में टेल लैम्प देखकर यह सुनिश्चित करना कि पूरी गाड़ी आ गई/चली गई है।
- 5.13 स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए वूडेन स्प्रेग लगाना व सेफटी चेन बांधकर ताला लगाना।
- 5.14 सभी अप एवं डाउन गाड़ियों को सतर्कता आदेश देना।
- 5.15 आवश्यकतानुसार गाड़ियों को पायलट करना तथा पेपर लाइन क्लियर टिकट और टी-369 (1) या 3-बी को हस्तांतरित करना।
- 5.16 जैसे और जब कार्यरत स्टेशन मास्टर आदेश दे कुहासा सिगनल को लगाना।
- 5.17 आवश्यकता पड़ने पर लाइन क्लियर टिकट आदि देना।
- 5.18 आवश्यकतानुसार मेमो इत्यादि देना।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

6. फाटकवाला :

फाटकवाला उसके चार्ज में दिये समपार फाटक के लिये उत्तरदायी है। प्रशासन द्वारा दिये गये उपकरणों को सुरक्षित रखना, उनके उचित प्रयोग और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व उसी का है। उसे सड़क यातायात और रेलवे के लिये सदैव सतर्क रहना है और फाटक को निर्धारित तरीके से परिचालित करके रेल यातायात एवं सड़क यातायात दोनों को सुरक्षित करना है। उसे शंटिंग मूवमेंट और गाड़ी गुजरने पर फाटक को समय से बंद करना तथा संचलन पूरा होने पर समय से फाटक खोलना है ताकि सड़क यातायात डिटेंशन की घटना न घटे। इसके अतिरिक्त उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :-

- 6.1 गाड़ी को गुजरने के लिये समपार फाटक को बन्द करके ताला लगाना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान व समपार फाटक के बन्द होने का इण्डिकेशन अथवा सम्बन्धित चाभी परिशिष्ट "ए" के अनुसार देना।
- 6.2 दिन में गेट लाज की तरफ सतर्कता के साथ दाहिने हाथ में लाल व बायें हाथ में हरी झण्डी लेकर तथा रात में हाथ बत्ती को ट्रैक की तरफ सफेद रोशनी करके खड़े होना चाहिये जिससे कि आपातस्थिति में वह आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र से शीघ्र हाथ बत्ती दिखा सके।
- 6.3 खतरे की आशंका में उसे सतर्क और तुरन्त कार्यवाही हेतु तैयार रहना चाहिये।
- 6.4 उसे देखना चाहिये कि समपार फाटक पर उपलब्ध यन्त्र चालू हालत में है और तुरन्त उपयोग में लाये जा सकतें हैं।
- 6.5 फाटक की बत्तियां निरन्तर प्रज्वलित रहनी चाहिये, इसे सुनिश्चित कर ले।

- 6.6 यदि आपात्स्थिति में उसे फाटक छोड़ना पड़ जाय तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बन्द कर ताला लगा देना आवश्यक है ।
- 6.7 इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि पहियों के फ्लैन्ज के पैनल हमेशा साफ रहते हैं ।
- 6.8 फाटक या उससे सम्बन्धित यन्त्रों में यदि कोई खराबी दिखाई देती है तो शीघ्र से शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिये ।
- 6.9 यदि वह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गई है तो शोर मचाकर या हाव – भाव से झाँवर एवं गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये ।
(उसे खतरे का सिगनल कतई नहीं दिखाना चाहिये)
- 6.10 उसे अपने कार्यभार के घण्टों में फाटक पर प्रत्येक दशा में उपस्थित रहना चाहिये । उसे समपार फाटक को तब तक नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि वह कार्यमुक्त न हो गया हो ।
- 6.11 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी वैध निर्देशों का पालन करना चाहिये ।

परिशिष्ट “ई”

स्टेशन पर उपलब्ध आवश्यक उपकरणों की सूची :-

क्रम सं०	उपकरण	संख्या
1	फायर बाल्टिया	12
2	अग्निशामक यंत्र	4
3	हैण्ड सिगनल लैम्प (ट्राई कलर बैट्री आपरेटेड)	8
4	फाग सिगनल	50
5	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	1
6	सेपटी चेन	24
7	क्लैम्प	24
8	पैड लाक चाभी सहित	50
9	वूडेन स्प्रेग	50
10	वी.एच.एफ. सेट	1
11	हैण्ड सिगनल फ्लैग	
	लाल	10
	हरा	10
12	स्ट्रेचर	2
13	व्हील चेयर	1

परिशिष्ट “एफ”

डी.के स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच, आई.बी.एस और बाहरी
साइडिंगो के संचालन नियम

———— कोई नहीं ————

